अध्याय II

वाणिज्यिक बैंकिंग में नीतिगत गतिविधियां *

2.1 जैसे-जैसे वित्तीय संस्थाओं का विस्तार होता है और अविनियमन, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रभाव के अधीन वे अधिकाधिक जटिल होती जाती हैं, वैसे-वैसे प्रणाली की स्थिरता की दृष्टि से उनके पर्यवेक्षण और विनियमन की भूमिका जटिल बनती जाती है। बदलती वित्तीय स्थितियों, तथा साथ ही बदलती जोखिम प्रवृत्ति और जोखिम प्रबंध दृष्टिकोण के अनुरूप पर्यवेक्षी नियम और दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता के साथ वित्तीय संस्थाओं और उनके विनियामकों के लिए उपलब्ध विकल्पों में नाटकीय परिवर्तन आया है। पर्यवेक्षकों के सामने जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण चुनौती है वह है - विनियमन के एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करना जो विविधता, विभिन्नता और गतिशीलता के विश्व में कारगर हो सके। पिछले दशक के दौरान, भारत में नीतिगत परिवेश में व्यापक मात्रा में किये गये परिवर्तन वित्तीय रूपांतरण प्रक्रिया की विशेषता रही है।

2.2 वर्षों से वित्तीय क्षेत्र का प्रबंधन सफल आर्थिक समेकन के लिए दक्षता और स्थिरता तथा सुदृढ़ सार्वजनिक नीतियों के बीच परस्पर पुनर्संतुलन बैठाने की ओर उन्मुख रहा है। भारत में विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने तथा उन्हें देश-विशेष के लिए उपयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समान स्तर पर लाने के लिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किये गये। नये बास्ले समझौते के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण में भी यही मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है। 2002-03 के दौरान ऋण, बाजार, देश तथा बैंकों के लिए परिचालनगत जोखिम के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी करके और कई विनियामक परिवर्तनों के कार्यान्वयन द्वारा जोखिम प्रबंध और गैर-निष्पादक आस्तियों में सुधार लाया गया। पर्यवेक्षण में किये गये परिवर्तनों में जोखिम आधारित और समेकित पर्यवेक्षण के संबंध में की गयी प्रगति भी शामिल है। ऋण सुपुर्दगी में सुधार लाने और प्रौद्योगिकी तथा कानूनी बुनियादी सुविधा को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाये गये ताकि वित्तीय प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ायी जा सके।

2.3 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में भारतीय वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में 2003-04 और 2004-05 के दौरान अब तक (अक्तूबर 2004 तक) किये गये नीतिगत उपायों का विहगावलोकन किया गया है। मौद्रिक और ऋण नीति के समग्र रूप में किये गये परिवर्तनों को पहले अध्याय 2 में प्रस्तुत किया गया है। इसमें ऋण सुपुर्दगी में सुधार के लिये उठाये गये कदमों पर भी चर्चा की गयी है। अध्याय 3 में विवेक-सम्मत विनियमन के क्षेत्र में किये गये उपायों की समीक्षा की गयी है, इसके बाद अध्याय 4 में गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंधन संबंधी गतिविधियों पर चर्चा है। अध्याय 5 पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी नीति संबंधी गतिविधियों के संबंध में है और इसके बाद अध्याय 6 में नीति निर्धारण के प्रति परामर्शी दृष्टिकोण अपनाने के बारे में चर्चा की गयी है। बाद के अध्याय 7, 8 और 9 में मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजार तथा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन एवं कानूनी बुनियादी सुविधा के उन्नयन को प्रस्तुत किया गया है।

2. मौद्रिक और ऋण नीति

2.4 रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष के दौरान दो बार नीति संबंधी की जानेवाली घोषणा को 1992 तक ऋण नीति वक्तव्य कहा जाता था - इसी वर्ष में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की शुरूआत की गयी थी । वित्तीय प्रणाली को अधिक बाजार उन्मुखी बनाने और मौद्रिक नीति के लिए परिचालनगत क्रियाविधियों को निर्धारित करने की पहल के साथ ही इस नीति का नाम बदलकर *'मौद्रिक और ऋण नीति'* किया गया ताकि इन दोनों के बीच बढ़ते संबंधों पर प्रकाश डाला जा सके। ऋण मूल्य निर्धारण और ऋण सुपुर्दगी के अलावा विनियामक नीतियां भी ऋण प्रवाह को सरणीबद्ध करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं। बाद के क्रमिक वर्षों में, रिज़र्व बैंक के नीति संबंधी वक्तव्य अधिकाधिक रूप से व्यापक हो गये जो गतिशील स्थिति में मौद्रिक नीति, ऋण नीति और विनियामक क्षेत्र के बीच की कड़ी के रूप में पहचाने गये हैं जो वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र के समग्र संरचनागत रूपांतरण एवं अर्थव्यवस्था के खुलापन से उभरे हैं । इन घटकों के समग्र पारस्परिक प्रभाव को मानते हुए 2004-05 से 'रिज़र्व बैंक का नीति संबंधी वक्तव्य' का नाम बदलकर ''वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य'' किया गया है।

* इस अध्याय का मुख्य स्वरूप 2003-04 के दौरान की नीतिगत गतिविधियों संबंधी है; फिर भी, आवश्यकता होने पर हाल की नीतिगत गतिविधियों के संदर्भ लिये गये हैं।

2.5 यद्यपि, रिज़र्व बैंक का नीतिगत उद्देश्य मोटे तौर पर वर्षों से अपरिवर्तित रहा है, फिर भी, उसमें दिये जानेवाले बल पर समय-समय पर परिवर्तन किया गया है। वृद्धि और मूल्य-स्थिरता के पारंपरिक उद्देश्यों के अलावा सुधारों की अवधि के बाद महत्त्वपूर्ण हो रहा तीसरा उद्देश्य है - वित्तीय स्थिरता। जहां, अल्पावधि के लिए, इन उपर्युक्त उद्देश्यों में कुछ टकराव हो सकता है, वहीं दीर्घावधि के लिए उनका एक दूसरे का पूरक होना अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

2.6 हाल के वर्षों में, मौद्रिक नीति में समग्र बल वृद्धि और स्थिरता पर केन्द्रित किया गया है। वर्ष 2003-04 की मौद्रिक नीति के समग्र बल और 2003-04 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में दोहरायी गयी मौद्रिक और ऋण नीति 2003-04 में निम्नलिखित शामिल हैं - (i) मूल्य स्तर में घट-बढ़ पर नजर रखते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि की पूर्ति करने और निवेश मांग को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करना; तथा (ii) व्यापक आर्थिक स्थिरता के ढांचे में सुलभ और लचीले ब्याज दर परिवेश के अधिमान पर बल देना जारी रखना। वास्तविक क्षेत्र की संभावनाओं, मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को, विशेषतः, तेल और पण्य के बढ़ते मूल्य ध्यान में रखते हुए 2004-05 की नीति में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया - (i) मूल्य स्तर में हो रही घट-बढ़ पर बारीकी से नजर रखते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि की पूर्ति करने और निवेश और निर्यात मांग को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान करना; तथा (ii) स्थिति को यथावत बनाये रखने के साथ साथ एक ऐसे ब्याज दर परिवेश का अनुसरण करना जो वृद्धि की गति, और व्यापक आर्थिक तथा मूल्य स्थिरता तो बनाये रखने में सहायक हो। 2004-05 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में यह संकेत किया गया है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल तथा अप्रत्याशित घटना के होने को छोड़कर, और यह मानते हुए कि वर्तमान मुद्रास्फीति की स्थिति प्रतिकूल नहीं हो जायेगी, उपर्युक्त स्थिति को बनाये रखा जायेगा। यद्यपि 2004-05 की पहली छमाही में मौद्रिक प्रबंधन 2004-05 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्यों में दिये गये मौद्रिक नीति के बल के अनुरूप चलाये गये तो भी मौद्रिक प्रबंधन ने (i) चल निधि की अधिकता (ii) थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति प्रत्याशित स्तर से अधिक बढ़ना, दो मुद्दों पर गम्भीर चुनौतियों का सामना किया जिसके कारण मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं बढ़ीं। जहां पूंजी के आगम पिछले वर्ष के स्तर पर नहीं रहें, चालू राजाकोषीय वर्ष में चल निधि की विद्यमानता 81,000 करोड़ रुपये से अधिक की रही। चल निधि के संतुलन में और जटिलता आ गयी जिसका कारण था वर्ष के अंत में और वस्तुतः मार्च 2004 के अंतिम सप्ताह में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अत्यधिक नकदी शेष बनाये जाने से उत्पन्न पिछले वर्ष की प्रारक्षित निधि में तेजी से वृद्धि का होना। चूंकि मुद्रास्फीतिकारी परिदृश्य से पता चला है कि वह अधिकतर आपूर्ति प्रेरित था, अतः मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को स्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति साधनों का उपाय के रूप में प्रयोग करते हुए खामियों और विशेषताओं में संतुलन लाना आवश्यक है। बड़े औपचारिक क्षेत्र तथा इस तथ्य के होते हुए कि बड़े पैमाने में जनता मुद्रास्फीति के लिए प्रतिरक्षित नहीं होती है, उचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं के लिए तथा समय-समय पर मूल्यांकन और नीतिगत प्रतिक्रियाओं की सूचना देने के लिए निरंतर आधार पर तथ्यों और कारणों का सावधानी से मूल्यांकन करते हुए मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को सीमित करने के लिए निष्ठापूर्व प्रयास किये जाने की जरूरत है। मई 2004 में 2004-05 का वार्षिक नीतिगत वक्तव्य घोषित किये जाने के बाद मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को कम करने के लिए प्रणाली में उचित मात्रा में चल निधि रहना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय बाजार स्थितियों की स्थिरता का महत्त्व दोहराने के कई महत्त्वपूर्ण उपाय किये गये। वर्ष की पहली छमाही के दौरान हुई गतिविधियों के अनुरूप, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल अप्रत्याशित गतिविधियों को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति कारक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2004-05 की दूसरी छमाही के लिए मौद्रिक नीति का समग्र जोर वार्षिक नीति में उल्लेखित उद्देश्यों के अतिरिक्त होगा, इसमें मुद्रास्फीतिगत सम्भावनाओं को स्थिर करने की दृष्टि से उभरती हुई परिस्थितियों की प्रतिक्रियाओं में सोचे-समझे रूप में उपाय करना भी शामिल होगा।

2.7 रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य और साथ ही मध्यावधि समीक्षा में वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए संरचनागत और विनियामक उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन उपायों के पीछे निहित उद्देश्य हैं - मौद्रिक नीति की परिचालनगत प्रभावोत्पादकता बढ़ाना, रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनःपरिभाषित करना, विवेक-सम्मत मानदंडों को मजबूत बनाना, तथा प्रौद्योगिकी और संस्थागत बुनियादी संरचना का विकास करना। पहले दिये गये बल को जारी रखते हुए सूक्ष्म विनियमन से हटकर विवेक-सम्मत विनियमन और व्यापक प्रबंध की ओर बदलते प्रतिमानों के साथ वर्ष 2003-04 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में स्वस्थ जोखिम प्रबंध प्रणालियां विकसित करने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के माध्यम से वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने पर बल दिया गया है। विशेषकर वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में वित्तीय बाजार के विभिन्न

क्षेत्रों में समन्वयन बढ़ाने, ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने, अनुकूल ऋण संस्कृति विकसित करने और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए किये गये संरचनागत और विनियामक उपायों का लक्ष्य है - मौद्रिक नीति की परिचालनगत प्रभावशीलता को बढ़ाना, रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका को पुनः परिभाषित करना, विवेक-सम्मत और पर्यवेक्षी मानदंडों को मजबूत करना तथा संस्थागत बुनियादी सुविधा को विकसित करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।रिज़र्व बैंक परामर्शी प्रक्रिया को और बढ़ते हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लाभों को समेकित करने की ओर निरन्तर कार्य कर रहा है। जहां इस स्तर पर वित्तीय संस्थाओं में कम्पनी-संचालन पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आम जनता द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया को बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है।

सांविधिक पूर्व-क्रय

2.8 मौद्रिक नीतिगत संरचना और परिचालनगत क्रियाविधियों में सुस्पष्ट अंतर आ गया है और मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष उपायों के बजाय बाजार आधारित अप्रत्यक्ष उपाय अपनाये जा रहे हैं। मौद्रिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष लिखत अपनाने के लिए परिचालनगत क्रियाविधियों में आये अंतर को देखते हुए, 1991 से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात में चरणबद्ध रूप से कटौती की गयी है जिससे प्रारक्षित अपेक्षाओं द्वारा पहले किये गये संसाधनों के पूर्व-क्रय को वापस जारी किया जा रहा है।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

2.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात जो 1 जुलाई 1989 और 8 अक्तूबर 1992 के बीच निवल मांग और मीयादी देयताओं का 15 प्रतिशत था, उसे चरणबद्ध रूप से कम करते हुए 14 जून 2003 को 4.5 प्रतिशत पर लाया गया। व्यापक आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को दो चरणों में निवल मांग और मीयादी देयताओं के एक प्रतिशत अंक के आधे तक बढ़ाया जाये - 18 सितंबर 2004 से 4.75 प्रतिशत और 2 अक्तूबर 2004 से और बढ़ाकर 5.0 प्रतिशत । साथ ही, चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी आंतरिक दल की सिफारिशों (दिसंबर 2003) के अनुसार प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन पात्र नकदी शेष राशियों पर दिये जानेवाले पारिश्रमिक को बैंक दर से अलग कर दिया गया है और उसे रिपो दर से कम करके 18 सितंबर 2004 से 3.5 प्रतिशत पर रखा गया है। तथापि, रिज़र्व बैंक नकदी प्रारक्षित अनुपात को कम करके अब इसके 3 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम अनुपात लाने के मध्यावधि उद्देश्य का अनुसरण करना जारी रखेगा । रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में विद्यमान चल निधि आंशिक रूप से खपाने के लिए नकदी प्रारखित अनुपात में वृद्धि करने का विकल्प चुना, परंतु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण - मुद्रास्फीति के अस्वीकार्य स्तरों तक बढ़ाने की रिज़र्व बैंक की चिंता के संकेतक के रूप में माना जाना चाहिए ताकि मुद्रास्फीतिकारी सम्भावनाओं को संतुलित किया जा सके और साथ ही वित्तीय बाजार को सुदृढ़ किया जा सके।

सांविधिक चलनिधि अनुपात

2.10 सांविधिक चलनिधि अनुपात को क्रमिक रूप से फरवरी 1992 के 38.5 प्रतिशत की सर्वोच्य दर से कम करते हुए अक्तूबर 1997 में 25.0 प्रतिशत के न्यूनतम सांविधिक स्तर पर लाया गया। परंतु, वाणिज्य बैंक आकर्षक जोखिम-मुक्त प्रतिलाभ के लिए सांविधिक निर्धारण से काफी अधिक मात्रा में सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां रखते हैं। बैंकिंग प्रणाली के पास मार्च 2004 के अंत में अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 41.3 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियां थीं।

ब्याज दर संरचना

2.11 सुधारों से पहले, प्रत्यक्ष मौद्रिक नियंत्रण के साथ-साथ नियंत्रित उधार और जमा की दरों से ऋण की आपूर्ति और मांग दोनों में विकृतियां पैदा हो गयीं । अब नियंत्रित ब्याज दर संरचना को तकरीबन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब बैंकों के पास पर्याप्त लचीलापन है कि वे अपनी जमा और उधार दर संरचनाओं का निर्णय ले सकें और तदनुसार अपनी आस्तियों एवं देयताओं का प्रभावी रूप से प्रबंध कर सकें। वर्तमान में जमाराशियों की दृष्टि से बचत खाता तथा एनआरइ जमा खातों पर तथा निर्यात ऋण और अल्प ऋणों के अलावा तथा उधार देने की दृष्टि से अन्य सभी ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त कर दी गयी है।

बैंक दर और रिपो दर

2.12 नब्बे के दशक के मध्य तक ब्याज दरों के क्रमिक उदारीकरण के साथ, रिजर्व बैंक बैंक दर से विभिन्न स्थायी सुविधाओं को जोड़कर अप्रैल 1997 में संकेत देनेवाले साधन के रूप में बैंक दर को फिर से सक्रिय कर सका। बैंक दर का प्रयोग अन्य समर्थक लिखतों के साथ नीति संबंधी बल का संकेत देने के लिए किया जाए । हाल की अवधि

में वित्तीय बाजार में अधिशेष चलनिधि स्थितियों और इस तथ्य के साथ कि जब आवश्यक हो तब रिवर्स रिपो[1] दर पर विवेकाधीन चलनिधि का प्रावधान करने के साथ संकेत देनेवाली दर के रूप में बैंक दर का महत्व कम हो गया है। यह वांछनीय होगा कि एकल दर पर चलनिधि जारी की जाये। तदनुसार, चलनिधि समायोजना सुविधा संबंधी आंतरिक दल ने ऐसी सिफारिश की थी कि सामान्य परिस्थितियों में बैंक दर रिवर्स रिपो दर के अनुरूप होनी चाहिए और इसलिए पुनर्वित्त सहित समग्र चलनिधि सहायता रिवर्स रिपो दर / बैंक दर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए। अतः बैंक दर / रिवर्स रिपो दर ब्याज दर मार्जिन की उच्चतम सीमा होगी। इस दल ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां रिज़र्व बैंक स्वतंत्र रूप से बैंक दर घोषित करना जारी रख सकता है, वहीं सामान्य परिस्थितियों में बैंक दर रिवर्स रिपो दर के अनुरूप होनी चाहिए। व्यापक आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा करने पर, बैंक दर 6.25 प्रतिशत से कम कर 29 अप्रैल 2003 को 6.0 प्रतिशत की गयी थी , 2004-05 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में उसे अपरिवर्तित रखा गया है।

2.13 चलनिधि समायोजन सुविधा जो अधिकाधिक रूप से मौद्रिक नीति के प्रमुख कारगर लिखत के रूप में सामने आ रही है, उसमें रिज़र्व बैंक को यह अनुमति है कि वह दैनिक आधार पर बाजार चलनिधि का प्रबंध कर सकता है और साथ ही साथ वह अल्पावधि मुद्रा बाजार ब्याज दरों के सीमित मार्जिन के भीतर घटते-बढ़ते रहने में सहायता करता है और इससे वह स्थिरता प्रदान करने और अल्पावधि रुपया आय वक्र के उभरने में सहायता करता है। चल निधि समायोजन सुविधा संबंधी आंतरिक दल की सिफारिशों और बाजार सहभागियों और विशेषज्ञों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, 29 मार्च 2004 से संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा योजना लागू की गयी है, इस योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं - (i) दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों के स्थान पर 7 दिन का निश्चित दर रिपो दैनिक रूप से किया जायेगा तथा (ii) रातभर का निश्चित दर रिवर्स रिपो सप्ताह के दिनों में दैनिक रूप से किया जायेगा। साथ ही 14 दिन का रिपो, जिसे 5 नवंबर 2001 को की गयी घोषणा के द्वारा फिर से लागू किया गया था, जो पाक्षिक अंतराल पर किया जाता था उसे कुछ समय तक जारी रखा गया ताकि बाजार सहभागी अपनी पूर्ववर्ती वचनबद्धताओं का पूरा कर सकें ।चल निधि समायोजन सुविधा की प्रभावशीलता को और बढ़ाने तथा चल निधि प्रबंधन को और लचीले तरीके से सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में यह प्रसताव यिका गया है कि चल निधि समायोजन सुविधा योजना 1 नवम्बर 2004 से रात्री भर के लिए निश्चित रिपो दर और रिवर्स रिपो दर के साथ शुरू की जायेगी तथा तदनुसार 1 नवम्बर 2004 से 7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो (अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में रिवर्स रिपो) बंद कर दिया जायेगा । यह निर्णय लिया गया है कि 29 अक्तूबर 2004[1] से चलनिधि समायोजन सुविधा परिचालनों के अधीन 'रिपो' और 'रिवर्स रिपो' इन अभिव्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय अर्थ में प्रयोग को अपनाया जाए। तदनुसार, चल निधि समायोजन सुविधा में रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि के खपाने को रिवर्स रिपो तथा चल निधि बढ़ाने को रिपो कहा जायेगा ।

2.14 संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन, रिज़र्व बैंक का यह विवेकाधिकार बना हुआ है कि वह बाजार स्थितियों और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब कभी उचित हो तब निश्चित दर या परिवर्तनीय दर पर रातभर का रिपो या दीर्घावधि रिपो संचालन कर सकता है, इसके साथ ही उसे रिपो दर और रिवर्स रिपो दर के बीच के अंतर मे ंपरिवर्तन करने का भी अधिकार है। वर्तमान स्थिति का आकलन करने पर 16 अगस्त 2004 से चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रचलित 6.0 प्रतिशत की रातभर की निश्चित रिवर्स रिपो दर के अतिरिक्त 4.5 प्रतिशत की रातभर की निश्चित रिपो दर लागू की गयी है। । वर्तमान व्यापक आर्थिक और समग्र मौद्रिक स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि 27 अक्तूबर 2004 से निश्चित रिपो दर में 4.50 प्रतिशत से 25 आधार बिन्दु की वृद्धि करके 4.75 प्रतिशत कर दिया जायेगा। रिपो दर और रिवर्स रिपो दर के बीच का दायरा जो 50 आधार बिन्दु घटाकर 200 आधार बिन्दुओं से 29 मार्च 2004 को 150 आधार बिन्दुओं तक ले आया गया था, उसे और 25 आधार बिन्दु घटाकर 27 अक्तूबर 2004 से घटाकर 150 आधार बिन्दुओं से 125 आधार बिन्दुओं तक ले आ गया। तदनुसार चल निधि समायोयजन सुविधा के अंतर्गत निश्चित रिवर्स रिपो दर 6.0 प्रतिशत पर बनी रही।

जमा दरें

2.15 सभी मीयादी जमाराशियों पर समय-पूर्व आहरण की स्थिति सहित ब्याज दरों के निर्धारण और जमाराशियों की मात्रा पर विचार किये बिना एक समान दर प्रस्तुत करने की परम्परा समाप्त हो गयी है। इस समय, जमाराशियों के संबंध में केवल बचत जमा दर (जो इस समय 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है) रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की

[1] अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में जहां 'रिपो' से अभिप्राय है केंद्रीय बैंक द्वारा पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर चलनिधि बाज़ार में लाना, रिवर्स 'रिपो' से अभिप्राय है पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर चलनिधि हटा लेना। इसके विपरीत भारतीय संदर्भ में 'रिपो' से आशय है, रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि खपा लेना और 'रिवर्स रिपो' से बाजार में चलनिधि बढ़ाना।

जाती है। अन्यथा, बैंक निवासियों से नियमित जमाराशि के लिए 15 दिन से अधिक की किसी परिपक्वता की नियमित जमाराशियों और 7 दिन की थोक जमाराशियों (15 लाख रुपये से अधिक) पर ब्याज दर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे खुदरा, घरेलु मीयादी जमाराशियों पर (15 लाख रुपये से कम) न्यूनतम मीयाद को अपने विवेक के अनुसार, 15 दिनों से घटाकर 7 दिन कर सकता है। तथापि, बैंकों को यह छूट जारी रहेगी कि वे 15 लाख रुपये या उससे अधिक की छूट देशी मीयाद जमाओं पर पहले की तरह अलग-अलग ब्याज की दरें दे सकते हैं। तथापि, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत जमाराशियों और अनिवासी भारतीयों से प्राप्त रुपया जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है और इस तरह की उच्चतम सीमाएं बाह्य ऋण प्रवाहों, विशेषतः अल्पावधि आगमों का प्रबंध करने के एक भाग के रूप में, निर्धारित करना जारी रहेगा।

2.16 अल्प बचत योजनाओं की ब्याज दर संरचना और उच्च राजकोषीय लागत के निहितार्थों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 24 जनवरी 2004 को नियंत्रित ब्याज दर और बचत लिखतों के युक्तिकरण के संबध में सलाह देने के लिए एक परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : डा. राकेश मोहन)[2] गठित की। जहां समिति अधिकतर अल्प बचत योजनाओं को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जारी रखने के पक्ष में थी वहीं उसने सरकार द्वारा प्रस्तुत कुछ ऐसे बचत लिखत बंद कर देने की सिफारिश की थी जहां निवेश प्राथमिक रूप से आय कर अधिनियम की धारा 88 और धारा 10 के अधीन उपलब्ध कर-लाभ द्वारा प्रेरित होते हैं। तथापि, समिति ने सार्वजनिक भविष्य निधि योजना अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखने को वरीयता दी है। वैकल्पिक न्यूनतम बेंचमार्क मानदंड और 50 आधार अंकों के निश्चित अंतराल प्रीमियम पर विचार करने के बाद समिति ने ऐसा निर्णय लिया है कि रेड्डी समिति[3] द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप अत्यंत उपयुक्त न्यूनतम मानदंड के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत प्रतिलाभ देना जारी रखा जाये। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू करने और सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए जमाराशि योजना तथा 6.5 प्रतिशत बचत बाण्ड 2003 (गैर कर-योग्य) बंद कर देने संबंधी समिति की कुछ सिफारिशों का केन्द्र सरकारद्वारा कुछ संशोधनों के साथ पहले ही कार्यान्वयन कर दिया गया है।

2.17 चूंकि, बैंकों को जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी है और वर्तमान दिशानिर्देशों में कतिपय परिचालनगत बातें ही शामिल की गयी हैं अतः विविध सत्रों से जमाराशियों संबंधी परिचालनगत दिशा निर्देशों के युक्तिसंगत बनाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। ब्याज दर संरचना पर नियंत्रण रखनेवाले विनियमों, अनुदेशों और दिशा-निर्देशों की संपूर्ण प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक कार्यकारी दल (अध्यक्ष श्री एन.एन. सिनौर) गठित किया गया जिसमें चुनिंदा बैंकों, भारतीय बैंक संघ और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि हैं। इस दल की रिपोर्ट की रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की गयी और उसकी सिफारिशों के आधार पर बैंकों को 13 फरवरी 2004 को आवश्यक अनुदेश जारी किये गये जिससे वर्तमान दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये : (i) अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण संबंधी सभी पहलुओं पर अलग-अलग बैंकों द्वारा इस संबंध में उनके बोर्डों द्वारा निर्धारित पारदर्शी, विवेकाधिकार-रहित और गैर-विभेदात्मक नीति के अधीन निर्णय लिया जायेगा तथा (ii) मीयादी जमाराशि के आधार पर दिये जानेवाले अग्रिम पर मार्जिन और मृतक जमाकर्ताओं के जमा खाते की परिपक्वता आगम पर देय ब्याज संबंधी निर्णय अलग-अलग बैंकों द्वारा अपने विवेक पर इस संबंध में अपने बोर्ड द्वारा निर्धारित पारदर्शी नीति के अधीन लिया जायेगा।

अनिवासी भारतीय जमा योजना

2.18 अनिवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध जमा योजनाओं को सरल बनाया गया और इस समय ऐसी तीन योजनाएं अर्थात विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) (एफसीएनआर (बी)) योजना, अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता योजना और अनिवासी (सामान्य) (एनआरओ) खाता योजना प्रचलित हैं (बाक्स II.1)। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) खाता योजना या अनिवासी (विशेष) रुपया (एनआरएसआर) खाता योजना के अंतर्गत नयी जमाराशियां लेना 1 अप्रैल 2002 से बंद कर दिया गया है और वर्तमान जमाराशियां केवल परिपक्वता की तारीख तक ही जारी रहेंगी। एनआरएनआर खाता योजना और एनआरएस आर खाता योजना के अंतर्गत वर्तमान जमाराशि की परिपक्वता पर परिपक्वता आगम को क्रमशः एनआरई खाता और एनआरओ खाता में जमा किया जायेगा।

[2] भारत सरकार (2004) 'नियंत्रित ब्याज दरों और बचत लिखतों को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में परामर्श देने संबंधी परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अगस्त.

[3] भारत सरकार (2001), 'नियंत्रित ब्याज दर प्रणाली तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, 17 सितम्बर ।

बाक्स II.1: एनआरआई हेतु उपलब्ध विभिन्न जमाराशि योजनाओं की विशेषताएं

विवरण	एफसीएनआर(बी) खाता	एनआरई खाता	एनआरओ खाता
खाते का प्रकार	केवल मीयादी जमाराशि	बचत, चालू, आवर्ती, सावधि जमाराशि	बचत, चालू, आवर्ती, सावधि जमाराशि
पात्रता	एनआरआई (बंगला देश /पाकिस्तानी राष्ट्रिकता के व्यक्ति /स्वामित्ववाली संस्थाओं हेतु रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है)	एनआरआई (बंगला देश /पाकिस्तान राष्ट्रिकता के व्यक्ति / स्वामित्ववाली संस्थाओं हेतु रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है)	भारत से बाहर का कोई निवासी (नेपाल और भूतान में निवास करने वाले व्यक्ति को छोड़कर) (बंगला देश / पाकिस्तानी राष्ट्रिकता के व्यक्ति /स्वामित्ववाली संस्थाओं और साथ ही पूर्ववर्ती ओसीबी हेतु रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है)
वह मुद्रा जिसमें खाता मूल्यवर्गीकृत किया गया है	पौंड स्टर्लिंग, अमरीकी डालर, जापानी येन या यूरो	भारतीय रुपया	भारतीय रुपया
ब्याज दर	उच्चतम सीमा के अधीनः लिबोर से 25 आधार बिंदु कम, किंतु, जापानी येन के मामलों को छोड़कर जहां उच्चतम सीमा विद्यमान लिबोर दरों पर आधारित होंगी	उच्चतम सीमा के अधीन : **मीयादी जमाराशि :** तद्नुरूपी अवधिपूर्णता के अमरीकी डालर हेतु लिबोर/स्वैप दरें **बचत बैंक खाते** :यूएमडी जमाराशियों पर ब्याज दरें छह माह की अवधिपूर्णता के लिए लिबोर/स्वैप दर से अधिक नहीं होनी चाहिए	**मीयादी जमाराशियां** ब्याज दर निर्धारण के लिए बैंक स्वंतंत्र हैं। **बचत बैंक खाते :** निवासी भारतीयों के देशी बचत बैंक खातों के समान।
प्रत्यावर्तनीयता	प्रत्यावर्तनीय	प्रत्यावर्तनीय	खाते में निम्नलिखित को छोड़कर प्रत्यावर्तनीय नहीं : 1. चालू आय। 2. एनआरओ खाते के शेष/आस्तियों की बिक्री की आय में से किसी भी वास्तविक प्रयोजन के लिए प्रति कैलेंडर वर्ष 1 मिलियन अ.डा. तक। अचल संपत्ति दस वर्ष से अन्यून अवधि हेतु रखी गई हो। 3. यदि रुपया निधि से अर्जित की गई अचल संपत्ति दस वर्ष से कम अवधि हेतु धारित करके बेच दी जाती है तो विप्रेषण तभी किए जा सकते हैं जब बिक्री आय एनआरओ खाते (बचत/सावधि जमाराशि) में या किसी अन्य पात्र निवेश में शेष अवधि हेतु रखे गए हों, बशर्ते, ऐसे निवेश अचल संपत्ति की बिक्री आय से संबंध रखते हों ।

टिप्पणी : 1) जब भारत का काई निवासी व्यक्ति रोजगार या कारोबार या व्यवसाय करने या अन्य किसी भी कारण से नेपाल या भूतान जाने के लिए भारत छोड़ता है और नेपाल या भूतान में रहने की अनिश्चित अवधि दर्शाता है तो उसका विद्यमान खाता निवासी खाते के रूप में बना रहेगा। ऐसा खाता अनिवासी (सामान्य) रुपया खाता एनआरओ के रूप में नामित नहीं होगा।

2) प्राधिकृत व्यापारी नेपाल और भूतान में रहनेवाले उन लोगों के एनआरई/ एफसीएनआर (बी) खाते खोल और बनाए रख सकते हैं जोकि भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के हैं बशर्ते इन खातों को खोलने के लिए निधि मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में विप्रेषित किए जाएं। एनआरई /एफसीएनआर (बी) खातों में अर्जित ब्याज नेपाल तथा भूतान के निवासी एनआरआई और जीआइओ को भारतीय रुपये में ही विप्रेषित किया जा सकता है।

3) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. एफइएमए 5/2000 आरबी के विनियम 4(4) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी नेपाल/भूतान में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए रुपया खाता खोल व बनाए रख सकते हैं।

2.19 लिबोर/स्वैप से संबद्ध ब्याज दर की उच्चतम सीमा 2003-04 के दौरान एनआरइ जमाराशियों पर लागू की गई थी। एनआरई योजना के तहत एक से तीन वर्षीय नई सावधी जमाराशियों (और उनके नवीकरण पर) पर 17 जुलाई 2003 से ब्याज दर की उच्चतम सीमा वैसी ही अवधिपूर्णता वाले अमरीकी डालर के लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार अंक अधिक रखी गई । यह विभेद 15 सितंबर 2003 से पुनः घटाकर 100 आधार अंक और 18 अक्तूबर 2003 से घटाकर 25 आधार अंक कर दिया गया और 17 अप्रैल 2004

से इसे समाप्त ही कर दिया गया। साथ ही, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की बाहरी देयताओं पर आंतरिक समूह की सिफारिशों के अनुसरण में एनआरइ बचत जमाराशि दर पर 17 अप्रैल 2004 से अमरीकी डालर जमाराशियों पर छह माह की अवधिपूर्णता के लिबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई। समीक्षा करने पर यह प्रस्ताव किया गया कि एनआरई ब्याज दरों की उच्चतम अमरीकी डालर की सीमा को लिबोर/स्वैप दरों की तदनुरूप मीयाद के लिए निश्चित ब्याज दरों की यू.एस.डालर लिबोर/स्वैप दरों की वर्तमान सीमा से 50 आधार बिन्दु अधिक पर निर्धारित की जाये। इसके अलावा, एनआरई बचत खाते में रखी शेष राशियों के प्रति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के धारणाधिकार अनुमति नहीं है। एफसीएनआर(बी) जमा दर लिबोर/स्वैप दरों (समान अवधिपूर्णता के लिबोर/स्वैप दरों में 25 आधार अंक कम पर) से संबद्ध बनी रही है। एनआरई खातों को देशी जमाराशियों के स्तर पर लाने के लिए केंद्रीय बजट 2004-05 में यह प्रस्ताव किया गया कि एनआरई खाते से अर्जित ब्याज पर और जमाराशियों पर किसी अनिवासी को या गैर-सामान्यतः अनिवासी रहनेवाले व्यक्ति को बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए ब्याज भुगतान पर कर-छूट 1 अप्रैल 2005 से हटा दी जाए।

2.20 विदेशी मुद्रा भुगतानों के निरंतर उदारीकरण के एक भाग के रूप में, मजबूत पूंजीगत आगमों की स्थिति में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के अबाध संचयन से समर्थित, व्यकितगत मामलों के भुगतान तंत्र को और उदार बनाने के लिए 2003-04 में अनेक उपाय किए गए (बाक्स II.2)।

बाक्स II.2: भारत में विप्रेषण के मार्ग

हालांकि भारत में आवक विप्रेषण का बड़ा भाग बैंकिंग मार्ग के माध्यम से होता है, तथापि मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) और रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) नामक दो योजनाओं ने अपनी गति और परिचालन में सरलता के कारण हाल ही में गति पकड़ी है।

एमटीएसएस विदेश से भारत स्थित लाभार्थी को विप्रेषण अंतरण का एक अनुमोदित तरीका है। इसमें परिवार के भरण-पोषण हेतु विप्रेषण और भारत प्रवास पर आनेवाले विदेशी सैलानियों के पक्ष के विप्रेषणों जैसे निजी विप्रेषणों की ही अनुमति है। इस प्रणाली में विदेशी प्रतिष्ठित मुद्रा अंतरण कंपनियों और भारत स्थित उन एजेंटों के बीच तालमेल की व्यवस्था है जोकि प्राधिकृत व्यापारी, पूर्ण मुद्रा परिवर्तक, पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) या अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आइएटीए) द्वारा अनुमोदित यात्रा एजेंट हों, जिनकी न्यूनतम निवल संपत्ति 25 लाख रुपये हो । भारतीय एजेंट को ऐसी व्यवस्था में भाग लेने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। 50,000 रुपयों के समतूल्य विप्रेषणों का नकद भुगतान किया जा सकता है, जबकि इस राशि से अधिक किसी भी राशि का भुगतान अनिवार्यतः चेक/मांग ड्राफ्ट द्वारा किया जाना होगा । इस प्रणाली में ऐसे आवक विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था नहीं है। इस समय, 14 विदेशी संस्थाओं का 39 भारतीय संस्थाओं से तालमेल है। संभाव्य चूक के प्रति भारतीय एजेंट की क्षतिपूर्ति हेतु विदेशी संस्थाओं द्वारा 3 दिन के आहरणों के बराबर या 50,000 अ.डा (जो भी अधिक हो) की जमानत रखी जाती है। प्रति विप्रेषण की अनुमत अधिकतम राशि और साथ ही प्रत्येक लाभार्थी द्वारा प्राप्त किए जानेवाले विप्रेषणों की अधिकतम संख्या की सीमा तक की गई है। एजेंटों को उनके द्वारा किए गए लेनदेनों का स्पष्ट लेखा परीक्षा ब्यौरा रखना होता है। इस व्यवस्था के माध्यम से 2002 के दौरान 555 मिलियन अ.डा. की राशि प्राप्त हुई जोकि जनवरी-दिसंबर 2003 के दौरान 51 प्रतिशत बढ़कर 837 मिलियन अ.डा. की हो गई।

रुपया आहरण व्यवस्था के अन्तर्गत भारत में बैंकों तथा खाड़ी क्षेत्र, सिंगापुर और हांगकांग के निजी मुद्रा विनिमय गृहों के साथ आवक विप्रेषणों के लिए काम किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारियों को विनिमय गृहों के साथ आरडीए में प्रवेश करन के लिए और उनके नाम पर वोस्ट्रो खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत आवक विप्रेषण सामान्यतः उक्त देशों के एनआरइ द्वारा भेजे गए निजी विप्रेषण होते हैं। प्रति लेनदेन 2 लाख रुपये तक के व्यापारी विप्रेषणों का निधीयन भी इस व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। आरडीए के तहत बैंक नामित निक्षेपागार एजेंसी (डीडीए) गैर-नामित निक्षेपागार एजेंसी या तेज विप्रेषण एजेंसी के साथ उक्त व्यवस्था में भाग ले सकते हैं।

डीडीए क्रियाविधि के तहत, विनिमय गृह लाभार्थियों को रुपया ड्राफ्ट जारी करते हैं और प्रत्येक दिन की समाप्ति पर कुल आहरणों की गणना करते हैं और अपने दैनिक संग्रहण अगले कार्य दिवस का डीडीए खाते में जमा करते हैं (यह खाता नामित खाता होता है जोकि पारस्परिक सहमति के केंद्र में विनिमय गृह द्वारा अदाकर्ता बैंक को स्वीकार्य बैंक में अदाकर्ता बैंक के नाम पर खोला जाता है) । बैंक द्वारा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिमय गृह द्वारा दैनिक आहरण अगले कार्य दिवस को डीडीए खाते में जमा किए जाते हैं । इस प्रकार जमा की गई निधि सचल अवधि के भीतर बैंक के नास्ट्रो खाते में अंतरित की जाती है। निधि के नास्ट्रो खाते में अंतरण तक उस पर अर्जित ब्याज विनिमय गृह का होता है। इस व्यवस्था में विनिमय गृह को सामान्य स्थिति में कोई संपार्श्विक जमानत नहीं रखनी होती है।

गैर-नामित निक्षेपागार एजेंसी व्यवस्था में विनिमय गृह कुल दैनिक आहरण बैंक के नास्ट्रो खाते में सीधे ही जमा करते हैं। चूंकि नास्ट्रो खातों को अंतरण पर नजर रखने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है, अतः एक माह के अनुमानित आहरणों के बराबर संपार्श्विक जमाराशि रखने हेतु आग्रह किया जाता है (15 दिन की नकदी और 15 दिन की बैंक गारंटी)।

तेज विप्रेषण के तहत, विनिमय गृह बैंक को लाभार्थी के पूरे ब्योरे के साथ अनुदेश भेजता है और भुगतान अनुदेश जारी करने से पर्याप्त पहले ही बैंक के नास्ट्रो खाते के माध्यम से उनका रुपया खाते में निधि रखता है। आंकड़ों के सत्यापन पर और वोस्ट्रो खाते में निधि रहने पर बैंक लाभार्थी के पक्ष में ड्राफ्ट जारी करता है या लाभार्थी के खाते में सीधे ही राशि जमा करता है। खाते में स्पष्टतः निधि उपलब्ध न होने तक भुगतान नहीं किया जाता है। इस व्यवस्था में परिचालन के लिए 15 दिन के आहरणों के बराबर संपार्श्विक जमाराशि निर्धारित है।

इस समय 29 बैंकों ने विनिमय गृहों के साथ 188 रुपया आहरण व्यवस्थाओं में करार किया है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त विप्रेषण 2002 (जनवरी-दिसम्बर) के 4,670 मिलियन अ.डा. से 2003 में 14.3 प्रतिशत बढ़कर 5,337 मिलियन अ.डा. के हो गए।

2.21 उदारीकरण के एक भाग के रूप में निवासी व्यक्तियों हेतु 25,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किसी भी अनुमत चालू या पूंजीगत खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन हेतु प्रति कैलेंडर वर्ष 25,000 अमरीकी डालर तक मुक्त विप्रेषण करने के निवासी व्यक्तियों को सामान्य अधिकार दिए गए। वे भारत से बाहर कोई अचल संपत्ति या शेयर या आस्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ही अर्जित करने और धारण करने के लिए मुक्त हैं। उक्त योजना के तहत विप्रेषण भेजने के लिए व्यक्ति बिना रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं, उनमें विदेशी मुद्रा बनाए रख सकते और धारण कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र विप्रेषणों से संबद्ध या उत्पन्न होनेवाले सभी लेनदेन करने के लिए विदेशी मुद्रा खाते उपयोग में लाए जा सकते हैं ।

अनिवासी जमाराशियों की सुविधाएं

2.22 उच्च शिक्षा हेतु विदेश जानेवाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा जारी करने की सुविधा लेने के प्रयोजनार्थ अनिवासी माना गया है। एनआरआई मार्ग से विदेश से संसाधन जुटाने के लिए निवासियों को भी बेहतर नमनीयता प्रदान की गई। निवासी व्यक्तियों को विदेश स्थित उनके निकट संबंधियों से 2,50,000 अ.डा. या उसके बराबर से अनधिक राशि उधार लेने की सामान्य अनुमति दी गई। यह ऋण ब्याज-मुक्त होगा और इसकी न्यूनतम अवधिपूर्णता एक वर्ष की होगी।

2.23 इसके अलावा, एनआरआर संबंधी चालू और पूंजीगत खाते के बीच अधिक एकीकरण करने के लिए अनेक उपाय किए गए। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार एनआरआइ को निम्नवत से भिन्न प्रयोजनों हेतु रुपया ऋण प्रदान करने की प्राधिकृत व्यापारियों को अब अनुमति दी गई है (क) चिट फंड व्यवसाय या (ख) निधि कंपनी, या (ग) कृषि या वृक्षारोपण कार्य या स्थावर संपदा व्यवसाय या फार्म हाउस का निर्माण, या (घ) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में लेनदेन या (ङ) मार्जिन व्यापार और व्युत्पनों सहित पूंजी बाजार में निवेश ।

2.24 एनआरआई उधारकर्ता के भारत स्थित निकट संबंधी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित) अपने बैंक खाते के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारी / आवास वित्त संस्था में उधारकर्ता के ऋण खाते में सीधा भुगतान करके आवास ऋण की किस्तों, ब्याज व अन्य प्रकार, यदि हो, की चुकौती कर सकते हैं।

2.25 विदेश से आवक विप्रेषणों में से या एनआरइ/एफसीएन आर(बी) खाते में नामे करके एनआरआइ द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों/ प्राधिकृत बैंकों से भिन्न के पास जमाराशि रखने की अब अनुमति नहीं होगी।

उधार दरें

2.26 न्यूनतम उधार दर (पीएलआर प्रणाली) 1994 से प्रारंभ की गई। बैंकों के बोर्ड पीएलआर निर्धारित करने के लिए मुक्त थे और उनका दायरा लागत धारणाओं पर आधारित था। साथ ही, अप्रैल 1999 में अवधि संबद्ध मूल उधार दर प्रणाली लागू की गयी ताकि बैंकों को परिचालनगत लचीलापन प्राप्त हो सके। तथापि, बैंकों के बीच उधार दरें, काफी व्यापक होती गयी, जिसमें बैंक गैर-प्रमुख (मूल) उधारकर्ताओं को अपनी मूल उधार दरों (पीएलआर) से अधिक उच्चतर दायरे में प्रभार लगा रहे थे। जमाराशि संबंधी दरें कम हो जाने तथा निधियों की लागत न्यून हो जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पीएलआर अधोमुखी ही बने रहे। इसके अलावा, बहुविध प्रकार के पीएलआर होने से ऋणों के मूल्यन में अतिरिक्त जटिलता आ गयी। ग्राहक संरक्षण के हित में और ऋणकर्ताओं पर लगायी जानेवाली वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में बड़ी पारदर्शिता पाने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया कि वे पीएलआर के आस पास लगायी जानेवाली अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों की जानकारी उपलब्ध करायें जो जून 2002 से तिमाही आधार पर रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गयी है। पीएलआर की अधोमुखी प्रवृत्ति और विभिन्न ऋणकर्ता श्रेणियों को लगाये जाने वाले ब्याज में रही व्यापक अनियमितता को दूर करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में एक बेंचमार्क पीएलआर (बीपीएलआर) योजना बनायी ताकि बैंकों की उधार दरों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और ऋणों के मूल्यन में निहित जटिलता कम हो। बैंकों से कहा गया कि बीपीएलआर निर्धारित करते समय वे (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालनगत व्यय और (iii) प्रावधानीकरण /पूंजी प्रभार और लाभ मार्जिन की विनियामक आवश्यकता पूरी करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को हिसाब में लें। अन्य सभी उधार दरें सावधि प्रीमियम और/या जोखिम प्रीमियम को हिसाब में लेकर बीपीएलआर के अनुसार निर्धारित करने की आवश्यकता है। चूंकि अन्य सभी उधार दरें उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित बीपीएलआर के आधार पर सावधि प्रीमियम और या जोखिम प्रीमियम को हिसाब में लेकर निर्धारित की जायेंगी, अतः मीयाद आधारित पीएलआर प्रणाली समाप्त कर दी गई।

2.27 बीपीएलआर प्रणाली लागू करने संबंधी मामलों पर चुनिंदा बैंकों और आइबीए के साथ चर्चा की गई। यह स्पष्ट किया गया कि चूंकि कार्यशील पूंजी और सावधि ऋणों हेतु उधार दरें सावधि प्रीमियम और/या जोखिम प्रीमियम को हिसाब में लेकर बीपीएलआर के आधार पर निर्धारित की जा

सकती हैं, अतः बहुविध पीएलआर की आवश्यकता बाध्यकारी नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि बैंक समय-परिवर्ती सावधि प्रीमियम और संबंधित लेनदेन लागत के आधार पर अपने ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु स्वतंत्र हैं। बैंक बाजार के आधार मानदंडों का उपयोग करके एक पारदर्शी तरीके से चल दर के उत्पादों का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। बैंकों को उक्त नई प्रणाली लागू करने में आसानी हो इसके लिए आइबीए ने अपने सदस्य बैंकों को 25 नवम्बर 2003 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें बीपीएलआर की गणना हेतु बैंकों द्वारा अपनाए जानेवाले व्यापक मानदंड दिए गए हैं।

2.28 लगभग सभी वाणिज्य बैंकों ने बीपीएलआर की नई प्रणाली अपनायी है और दरें उनके पूर्ववर्ती पीएलआर[4] स्तरों से 25-200 आधार बिंदु के दायरे में नीचे रही हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऋण का मूल्य निर्धारण ऋण जोखिम के मूल्यांकन के समरूप रखें ताकि ऋण सुपुर्दगी में सुधार आए और ऋण संस्कृति संस्थापित हो जाए।

2.29 केवल निर्यातों, 2 लाख रुपये तक के अल्प ऋण और विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई) से संबंधित उधार दरों को ही विनियमित किया जा रहा है (बाक्स II.3)।

ऋण सुपुर्दगी

2.30 रिज़र्व बैंक ने विशेषतः कृषि, निर्यात, लघु उद्योग और मूलभूत सुविधाओं हेतु ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। चयनात्मक ऋण नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और ऋण सुपुर्दगी का व्यष्टि विनियमन समाप्त कर दिया गया। बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों को ऋण संबंधी मामलों में अब काफ़ी स्वतंत्रता है। तथापि, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार और जरूरतमंद तथा पात्र उधारकर्ताओं को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के ऋण सुपुर्दगी के दो क्षेत्रों के बारे में चिंता है।

2.31 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार संबंधी पात्र अग्रिमों का विस्तार किया गया है, ब्याज दरों पर विनियमन हटाया गया और निवेश के वैकल्पिक अवसरों की अनुमति दी गई, इस प्रकार, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का उधार पहले की तुलना में अब अधिक लचीले किए गए। इस बात पर आम तौर पर सर्वसम्मति है कि ऋण सुपुर्दगी में मुख्य मुद्दा ऋण की लागत की अपेक्षा उसकी उपलब्धता का है।

2.32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे.ग्रा.बैंक) ग्रामीण ऋण प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकृत किया गया, लक्ष्येतर समूहों को दिया जानेवाला उधार उदार बनाया गया, जमा तथा उधार दरों पर से विनियमन हटाए गए। रिज़र्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकार प्राप्त समितियां गठित की हैं जिनमें नाबार्ड, प्रायोजक बैंक, एसएलबीसी के संयोजक और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अच्छे नियंत्रण का पालन करते हैं और विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करते हैं। उक्त समितियां परिचालनगत मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और विनियामक मामलों पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे स्टैम्प शुल्क, रेहन शुल्क आदि मामलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच भेदभाव को हटाएं । उनसे यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य के भीतर प्रायोजक बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव आता है तो वे उसे अनुमोदन प्रदान करें। प्रायोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि कार्य कुशल प्रबंधन, स्टाफ प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण और उनके कार्यों की नेटवर्किंग से संबंधित मामलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता दें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार

2.33 सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र के देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य क्रमशः कृषि और दुर्बल वर्गों को उधार देने के लिए निर्धारित किया गया है। विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत का रखा गया है। इसमें से लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण निवल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और निर्यात क्षेत्र हेतु निवल बैंक ऋण के 12 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी कुछ परिवर्तनों की घोषणा की गई (बाक्स II.4)। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि मशीनरी के व्यापारियों हेतु अग्रिमों की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की गई और संबंधित कार्यों हेतु निविष्टि (इनपुट्स) के वितरण हेतु यह सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की गई । सभी निजी क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे 2005-06 के लिए विशेष कृषि ऋण योजना बनाएं जिसमें कृषि ऋण संवितरण में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा जाए। लघु उद्योगों हेतु ऋण की संयुक्त सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई । साथ ही, लघु उद्योगों के सीधे उधार के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूतिकृत आस्तियों में किए गए उनके निवेश प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत लघु उद्योगों को किए गए उनके सीधे उधार माने जाएंगे, बशर्ते समूहबद्ध आस्तियां लघु उद्योगों को ऋण का प्रतिनिधित्व करती हों जिनकी प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत गणना की जाती है और प्रतिभूतिकृत ऋणों का उद्‌गम बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से हुआ हो। इस समय, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बैंकों द्वारा

[4] रिपोर्ट सारणी III.34 भी देखें।

बाक्स II.3: वाणिज्य बैंकों के मीयादी ऋणों सहित सभी रुपया अग्रिमों हेतु ब्याज दर ढांचा

अग्रिमों का प्रकार	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
I. (क) 2 लाख रुपये तक व सहित	बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अनधिक।
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, बैंक उनके बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ नीति के आधार पर निर्यातकों या सार्वजनिक उद्यमों सहित अन्य विश्वसनीय उधारकर्ताओं को कम बीपीएलआर पर ऋण देने का प्रस्ताव कर सकते हैं।
II. निर्यात ऋण *	
1. पोतलदानपूर्व ऋण	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक ।
(क) (i) 180 दिन तक	
(ii) 180 दिन से आगे और 270 दिन तक	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं।
(ख) इसीजीसी गांरटी (90 दिन तक) में समाहित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक
2. पोतलदानोत्तर ऋण	
(क) मार्गस्थ अवधि हेतु मांग बिलों पर (फेडाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट)	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
(ख) मीयादी बिल	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
(कुल अवधि हेतु जिसमें निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, फेडाई द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि और जहां लागू हो वहां अनुग्रह अवधि शामिल है)	
(i) 90 दिन तक (स्वर्ण कार्ड योजना के तहत पात्र निर्यातकों के लिए 365 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु बढ़ाई जा सकती हैं)	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
(ii) पोतलदान की तारीख से 90 दिन से अधिक और 6 माह तक	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबंधी दिशानिर्देशों के तहत ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं।
(ग) इसीजीसी गारंटी (90 दिन तक)में समाहित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
(घ) अनाहरित शेषों (90 दिन तक) की जमानत पर	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
ङ) प्रतिधारण मुद्रा (मात्र आपूर्ति भाग के लिए) जोकि पोतलदान के दिनांक से एक वर्ष के भीतर देय हो (90 दिन तक)	बीपीएलआर से 2.5 प्रतिशत अंक कम से अनधिक।
III. 180 दिन से अधिक की अवधि हेतु आस्थगित ऋण	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबधी दिशा निर्देशों के तहत ब्याज दर निर्धारित कर सकते हैं।
IV.अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया निर्यात ऋण (इसीएनओएस)	
(क) पोतलदानपूर्व ऋण	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबंधी दिशा निर्देशों के तहत ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं।
(ख) पोतलदानोत्तर ऋण	बैंक बीपीएलआर और दायरे संबंधी दिशा निर्देशों के तहत ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं।
V. डीआरआइ अग्रिम	4.0 प्रतिशत
VI. मीयादी ऋण प्रदान करनेवाली संस्थाओं की पुनर्वित्तपोषण योजनाओं में सहभागिता द्वारा समाहित ऋण	बीपीएलआर का संदर्भ न लेते हुए पुनर्वित्त एजेंसियों की शर्तों के अनुसार ब्याज दर लगाने हेतु स्वतंत्र

VII.बैंक निम्नलिखित ऋणों हेतु ब्याज दर निर्धारित करते समय बीपीएलआर और ऋण मात्रा पर ध्यान दिये बिना ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(क) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु ऋण।

(ख) व्यक्तियों को शेयरों और डिबेंचरों /बांडों की जमानत पर ऋण।

(ग) अन्य अप्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के निजी ऋण।

(घ) बैंकों में रखी देशी/एनआरई / एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम/ओवरड्राफ्ट बशर्तें उक्त जमाराशि स्वयं उधारकर्ता /उधारकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उधारकर्ता के नाम पर हो।

(ङ) मध्यस्थ एजेंसियों (आवास से संबंधित को छोड़कर) को आगे अंतिम लाभार्थियों और निविष्ट सहायता प्रदान करनेवाली एजेंसियों को उधार देने हेतु प्रदान किया गया वित्त।

(च) आगे अंतिम लाभार्थियों को उधार देने हेतु आवास वित्त मध्यस्थ एजेंसियों को प्रदान किया गया वित्त।

(छ) बिलों की भुनाई।

(ज) चयनात्मक ऋण नियंत्रण के तहत पण्यों की जमानत पर ऋण/अग्रिम/नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट।

* 1 मई 2004 से 30 अप्रैल 2005 तक लागू। ये उच्चतम सीमा की दरें होने के कारण बैंक इन उच्चतम दरों से कम की कोई भी दर लगा सकते हैं।

बाक्स II.4: वर्ष 2004-05 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं

1. मौद्रिक उपाय

- समाष्टिगत गतिविधियों की समीक्षा ने के बाद बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी और रिपो दर 27 अक्तूबर 2004 से 25 आधार अंक बढ़ाकर 4.50 प्रतिशत कर दी गयी। चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन निश्चित रिवर्स रिपो दर 6.0 प्रतिशत पर बनी रहेगी।
- संशोधित चलनिधि समायोजन सुविधा रातभर के निर्धारित दर रिपो और विपरीत रिपो के साथ परिचालित की जाएगी और तदनुसार 7 दिवसीय और 14 दिवसीय रिपो (अंतर्राष्ट्रीय भाषा में विपरित रिपो) 1 नवम्बर 2004 से बंद हो गयी।

2. ब्याज दर नीति

- एनआरइ जमाराशियों पर देय ब्याज दर को अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों से करने की दृष्टि से, एनआरइ जमाराशियों पर उच्चतम ब्याज दर बढ़ाकर समरूपी अवधिपूर्णता के अमरीकी डालर लिबोर/ स्वैप दरों से 50 आधार अंक बढ़ा दिया गया।
- बैंकों को एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की उच्चतम सीमा मासिक आधार पर निर्धारित करनी होगी।
- मीयादी जमाराशियों के स्वरूप में एकरूपता रखने की दृष्टि से खुदरा देशी मीयादी जमाराशियों (15 लाख रुपये से नीचे) की न्यूनतम अवधि बैंक के विवेक पर 15 दिन से घटाकर 7 दिन की गई।

3. ऋण सुपुर्दगी प्रक्रिया -तंत्र

- व्यास समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के नियंत्रणकारी प्रावधान, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर समाप्त कर दिए गए।
- कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सुपुर्दगी में और अधिक सुधार करने की दृष्टि से कृषि मशीनरी के व्यापारियों को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत दिये जानेवाले अग्रिमों और संबंधित कार्यों के लिए निविष्टि के वितरण के लिए दिये जानेवाले अग्रिमों की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 20 लाख रुपये से 30 लाख रुपये और 25 लाख रुपये से 40 लाख रुपये कर दी गई।
- छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाले ऋण में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने छोटे और सीमांत किसानों को विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत उनके प्रत्यक्ष अग्रिमों का 40 प्रतिशत वितरण मार्च 2007 तक पूरा कर लेना चाहिए।
- निजी क्षेत्र के बैंकों से आग्रह किया गया कि वे 2005-06 से विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) तैयार करें।
- लघु उद्योग उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण की सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की गई।
- लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में बैंकों के निवेश को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन उनके प्रत्यक्ष उधार के रूप में माना जाएं जो शर्तो के अधीन होगा।
- बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार के तहत आवास क्षेत्र को 15 लाख रुपये तक प्रत्यक्ष वित्तप्रदान कर सकते हैं।
- बैंकों को आपदग्रस्त शहरी गरीबों को उपयुक्त संपार्श्विक या सामूहिक जमानत के आधार पर उनके गैर-संस्थागत ऋण की चुकौती हेतु वित्तपोषण करने के सक्षम बना दिया गया।
- एनबीएफसी द्वारा क्षेत्र विशेष में प्राप्त विशेषज्ञता को देखते हुए बैंक उन्हें गौण आस्तियों के वित्तपोषण हेतु वित्त दे सकते हैं।

4. मुद्रा बाजार

- विशुद्ध अंतर बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार की दिशा में और आगे बढ़ने की दृष्टि से 8 जूनवरी 2005 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से बैंकेतर सहभागियों को अनुमति होगी कि वे सूचना देने के पखवाड़े में औसत आधार पर 2000-01 के दौरान मांग/सूचना मुद्रा बाजार में उनके दैनिक उधार के 30 प्रतिशत तक उधार दें। रिज़र्व बैंक किसी खास अवधि के लिए उच्चतर सीमाओं की अनुमति देने पर मामलेवार विचार कर सकता है।
- सीपी की न्यूनतम अवधिपूर्णता का समय तत्काल प्रभाव से 15 दिन से घटाकर 7 दिन किया गया, जारीकर्ता तथा भुगतानकर्ता एजेंट सीपी जारी करने की सूचना वार्तातय लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) मंच पर बाजार सहभागियों से परामर्श करके निर्धारित की जाने वाली भावी तिथि से दिन की समाप्ति तक देंगे, सीपी जारी करने की प्रक्रिया, निपटान और दस्तावेजीकरण के उपयुक्तता और मानकीकृत करने के लिए एक दल गठित किया जाए।

5. सरकारी प्रतिभूति बाजार

- 2005-06 के दौरान सरकार से सलाह करके पूंजी सूचकांक बांड शुरू किए जाने हैं।
- प्रतिपक्षी जोखिम कम करने और ओटीसी व्युत्पन्नों का सीसीआइएल के माध्यम से निपटान मार्च 2005 तक शुरू किया जाना है।

6. विदेशी मुद्रा बाजार

- प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को एक सामान्य अनुमति दी गयी थी जिसके अनुसार वे विवेकपूर्ण दिशा निर्देशों की शर्त पर विदेशी व्यापार नीति (स्वर्ण छोड़कर) के तहत अनुमत सभी पूंजीतर सामानों के आयात के लिए एक वर्ष तक की अवधि हेतु और पूंजी सामानों के आयात के लिए तीन वर्ष तक की अवधि हेतु प्रति लेनदेन 20 मिलियन अमरिकी डालर तक गारंटी/आश्वासन पत्र और वचन पत्र जारी कर सकते हैं।
- 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां (इओयू) और इएचटीपी, एसटीपी और बीटीपी योजनाओं के तहत स्थापित इकाइयों को बारह माह की अवधि के भीतर निर्यात आय के पूरे मूल्य के प्रत्यावर्तन हेतु अनुमति दी जानी है।
- आयातकों/निर्यातकों द्वारा बुक की गयी बकाया वायदा संविदाओं हेतु सीमा उनके पूर्व रेकार्ड के आधार पर उनकी पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई। तथापि, पात्र सीमा से 25 प्रतिशत ज्यादा बुक की गई संविदाएं सुपुर्दगी-योग्य आधार पर होंगी।

7. विवेकपूर्ण उपाय

- आवास ऋण तथा उपभोक्ता ऋण के मामले में जोखिम भार बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत किया गया।
- 31 मार्च 2005 से वित्तीय संस्थाओं के संबंध में किसी आस्ति को तभी संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा जब वह 12 महीनों के लिए 'अवमानक' श्रेणी में रहेगी। वित्तीय संस्थाओं को इसके फलस्वरूप किये गये अतिरिक्त प्रावधान को चार वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की अनुमति है।
- बैंकों से आग्रह किया कि वे दक्ष ऋण सूचना प्रणाली स्थापित करने की दृष्टि से अपने सभी उधारकर्ताओं से सहमति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें।
- हितों के टकराव से बचने के संबंध में एक कार्यकारी दल गठित किया जाए।
- पण्य फ्यूचर बाजार में बैंकों की सहभागिता के लिए एक संरचना तैयार करने तथा गोदाम रसीदों की जमानत पर ऋण प्रदान करने में बैंकों की भूमिका की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया जाए।
- विकास वित्त संस्थाओं के संबंध में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर विकास वित्त संस्थाओं और बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण के लिए दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया।
- आरएनबीसी की संक्रमण की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के उद्देश्य से उनके निवेश संविभाग के संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेश का पालन करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तावित।

8. भुगतान और निपटान प्रणाली

- राष्ट्रीय निपटान प्रणाली (एनएसएस) चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और यह 2005 के प्रारंभ में शुरू होने की अपेक्षा है।
- इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (इसीएस) और इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (इएफटी) हेतु विद्यमान प्रति लेनदेन सीमा 1 नवम्बर 2004 से समाप्त हो जाएगी।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चुनिंदा केंद्रों पर इसीएस के माध्यम से 25,000 रुपये तक की धन वापसी स्वीकृत करेगा।
- उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित डेटा के प्रसारण संबंधी प्रणालियों और क्रियाविधियों को सरल बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी।

आवास हेतु दिए गए 10 लाख रुपये तक का उनके सीधे वित्तपोषण की गणना प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार में होती है। आवास क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से बैंक उनके बोर्ड के अनुमोदन से आवास क्षेत्र को 15 लाख रुपये का सीधा वित्त पोषण उनके प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार के तहत कर सकते है, जिसमें आवास का स्थान कुछ भी क्यों न हो। शहरी क्षेत्र के गरीबों सामान्य वित्तीय प्रणाली में लाने की दृष्टि से बैंक आपद्ग्रस्त शहरी गरीबों को उनके द्वारा गैर-संस्थागत उधारकर्ताओं से लिये गये अपने ऋणों की चुकौति करने के लिए उचित संपार्श्विक या समूह जमानत पर ऋण दे सकते हैं।

2.34 प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र / कृषि ऋण लक्ष्य पूरा न कर पानेवाले देशी अनुसूचित बैंकों द्वारा नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) में अंशदान करने के लिए राशि निर्धारित की जाती है। तथापि, निर्धारित लक्ष्य और उप-लक्ष्य पूरा न कर सकने वाले विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे ऐसी दर पर समतुल्य राशि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में एक वर्ष की अवधि के लिए रखते हुए इस कमी को पूरा करें। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगी। आरआइडीएफ को परिचालित करने संबंधी ब्यौरे जैसे बैंकों द्वारा रखी जाने वाली जमा राशि, इन जमाराशियों पर देय ब्याज दरें, जमाराशि की अवधि आदि पर निर्णय प्रतिवर्ष केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद लिए जाते हैं (बाक्स II.5)।

कृषि ऋण

2.35 हाल के वर्षों में वास्तविक सदेउ में अपने अंश की तुलना में पूंजी निर्माण में कृषि का गिरता हुआ अंश चिंता का विषय रहा है जोकि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं के कम हो रहे ऋण-जमा अनुपात से और भी गंभीर बन गया है। इतना ही नहीं, अनेक अनुसूचित वाणिज्य बैंक कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त-क्षेत्र के उधारों में कमी की सूचना दे रहे हैं।

बाक्स II.5: ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ)

1995-96 में नाबार्ड में आरआइडीएफ की स्थापना लघु और मध्यम सिंचाई, भू-संरक्षण, जल विभाजक प्रबंधन और ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अन्य रूपों (जैसे ग्रामीण सड़कों और पुलों, बाजार स्थान आदि से) संबंधित जारी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में राज्य सरकारों और सरकारी निगमों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी। तदनंतर, केंद्रीय बजट में घोषणा करके आरआइडीएफ को वर्षवार आधार पर बढ़ाया गया। 2004-05 के अंतरिम बजट में आरआइडीएफ के स्थान पर एक नया निधि, जिसका नाम होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि, (एलएनजेपीएनएफ) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आरआइडीएफ के स्थान पर एलएनजेपीएनएफ की स्थापना 50,000 रुपये की निधि (कार्पस) जो तीन वर्षों में जुटायी जायेगी, के साथ होगी जिसके तीन घटक होंगे अर्थात, राज्य सरकारों के जरिये बुनियादी संरचना विकास के लिए वित्त, कृषि वाणिज्यिक बुनियादी संरचना में किये जानेवाले निवेशों और चुनिंदा सह वित्तपोषण के लिए पुनर्वित्त और विकास उपाय तथा जोखिम प्रबंधन। तथापि, 2004-05 के केंद्रीय बजट में आरआइडीएफ को संशोधित दिशानिर्देशों के साथ पुनरुज्जीवित करने की घोषणा की गयी है।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र/कृषि के उधारों का लक्ष्य पूरा न करने वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को आरआइडीएफ में अंशदान करने हेतु राशियां निर्धारित की जाती हैं।

उक्त निधि द्वारा कार्य प्रारंभ किये नौ वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रारंभ में, सिंचाई परियोजनाओं को तरजीह दी गई, जबकि ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को आरआइडीएफ II से आगे प्राथमिकता दी गई। तब से आरआइडीएफ के पात्र कार्यों की सूची में ग्रामीण पीने के पानी की योजनाएं, भू-संरक्षण, ग्रामीण बाजार स्थान, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक पाठशालाएं, लघु जलविद्युत परियोजनाएं, शिशु शिक्षा केंद्र, आंगणवाडी, विद्युत क्षेत्र में प्रणाली-सुधार आदि जैसे अन्य कार्य जोड़े गए। आरआइडीएफ V से आगे, आरआइडीएफ की परिधि में पंचायत राज संस्थाओं द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी शामिल है, भी सम्मिलित की गईं।

कृषि ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आरआइडीएफ VII से, बैंकों के आरआइडीएफ में अंशदान पर ब्याज दर 18 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य और कृषि उधार में कमी की सीमा के आधार पर विपरीत स्वरूप में जोड़ दी गई। आरआइडीएफ VII, आरआइडीएफ VIII और आरआइडीएफ IX में से दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज के संबंध में नाबार्ड 0.5 प्रतिशत का मार्जिन अपने पास रखकर शेष मार्जिन ब्याज दायरा जल विभाजक विकास निधि में जमा किया जाता है।

2004-05 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में नाबार्ड में आरआइडीएफ X 8000 करोड़ रुपये की आधार निधि से स्थापित किया गया।[5] मार्च 2004 के सूचना देने हेतु निर्धारित अंतिम शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार से (40 प्रतिशत लक्ष्य) और / या कृषि लक्ष्य (18 प्रतिशत लक्ष्य) में कमी की सूचना देने वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आरआइडीएफ X की आधार निधि में अंशदान करें।

बैंकों को आरआइडीएफ X में किए गए उनके अंशदान पर ब्याज का निम्नवत भुगतान किया जाएगा जो कि 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में कृषि उधार में रही कमी के अनुपात में विपरीत आधार पर निम्नप्रकार होगा।

क्र. संख्या	निवल बैंक ऋण की तुलना प्रतिशत की दृष्टि से कृषि उधार में कमी	जमाराशि पर ब्याज दर (प्रतिशत
1	2 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर* (इस समय 6 प्रतिशत)
2	2 और अधिक किंतु 5 प्रतिशत अंक से कम	बैंक दर से 1 प्रतिशत कम
3	5 और अधिक किंतु 9 प्रतिशत अंक से कम	बैक दर से 2 प्रतिशत कम
4	9 प्रतिशत अंक और अधिक	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम

* नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को ऋण स्वीकृत करते समय का बैंक दर

5 आरआइडीएफ के अधीन मंजूर और संवितरित ऋणों के ब्यौरों के लिए सारणी IV.25 भी देखें।

2.36 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित कार्यों के लिए ऋण के प्रवाह पर सलाहकार समिति गठित की (अध्यक्ष : श्री वी.एस.व्यास) जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2004[6] मे प्रस्तुत की । कृषि क्षेत्र में बैंकों की पहुंच बढ़ाना और वहां ऋण प्रवाह बढ़ाने के संदर्भ में समिति की सिफारिशें महत्त्वपूर्ण हैं। जहां समिति की कुछ सिफारिशों की पुनःजांच करने की आवश्यकता है, वहीं कुछ सिफारिशें बैंकों द्वारा तत्काल कार्यान्वित करने हेतु स्वीकार कर ली गई हैं (बाक्स II.6)।

बाक्स II.6: बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण प्रवाह संबंधी परामर्शदात्री समिति : सिफारिशें और की गयी कार्रवाई

इस समिति की जिन सिफारिशों को रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार किया गया है और अनुपालन के लिए बैंकों को सूचित किया गया है, निम्नानुसार हैं :

- बैंक 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण और 5 लाख रुपये तक के कृषि कारोबार एवं कृषि क्लिनिक केलिए मार्जिन /जमानत संबंधी अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं।
- कृषि को प्रत्यक्ष (अप्रत्यक्ष) दिये गये उधार के रूप में बैंकों की जमानती आस्तियों में होनेवाले निवेश को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को दिये गये प्रत्यक्ष (अप्रत्यक्ष) उधार के रूप में माना जाये।
- शीत भंडारण इकाइयों सहित ऐसी भंडारण इकाइयों को दिये गये ऋण जो कृषि उपज/उत्पादों का भंडारण करने के लिए बनाये गये हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कृषि वित्त के रूप में जाना जाये।
- प्रत्यक्ष कृषि मीयादी ऋण सहित सभी प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए गैर-निष्पादक आस्ति मानदंड को फसल तैयार होने के साथ चुकौती की तारीखों में एकरूपता लाने की दृष्टि से संशोधित किया गया है।
- माइक्रो वित्त संस्थाओं को तब तक सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वे रिजर्व बैंक के वर्तमान विनियामक ढांचे का पालन नहीं करें।
- बैंक ट्रैक्टर और कृषि मशीनों के मुख्य विनिर्माताओं के साथ किफायती रूप से किसानों का वित्तपोषण करने के लिए सहयोग की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं।
- बैंकों के नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसी चूकों यदि कोई हो, की समीक्षा करें जो प्रलेखीकरण के सरलीकरण शाखा प्रबंधकों को अधिकार देने आदि के संबंध में आर.वी.गुप्ता समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में की गयी हों और स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय करें ।
- बैंकों को चाहिए कि वे अपने उधार देने को किफायती करने के लिए अपनी प्रणालियों और क्रियाविधियों पर ध्यान दें और ऋण मंजूर कराने के लिए उधारकर्ता के परिहार्य व्यय को बचाने के उपायों पर भी विचार करें।
- बैंकों को चाहिए कि वे उत्पादन या निवेश ऋण के लघु उधारकर्ताओं के लिए अपने पारिवारिक नकदी प्रवाह में अस्थायी रूप से आयी कमी की पूर्ति करने के लिए अलग लचीली आवर्ती ऋण सीमा का प्रावधान करें। तथा उचित ऋण लिखत/पैकेज तैयार करें।
- बैंक क्रियाविधि संबंधी सूचना के अंतराल को कम करने के लिए उपाय करें । ऋण लिखत के लिए किये जानेवाले आवेदनपत्र के फार्म में प्रस्तुत करने योग्य दस्तावेजों/सूचना की व्यापक जांच सूची और ऋण प्राप्त करने के लिए पालन की जानेवाली क्रियाविधिगत आवश्यकताओं को शामिल किया जाए ।
- बैंक तब तक प्रायोगिक परियोजना के जरिये संयुक्त देयता समूह और स्वयं-सहायता समूह के दृष्टिकोण पर मौखिक पट्टेदारी के वित्तपोषण की सम्भावना तलाश कर सकते हैं जब तक कि राज्य सरकार काश्तकारी को विधि-सम्मत नहीं बना देती ।
- बैंक स्वयं-सहायता समूह के बचत खाते खोलने में विलंब होने/उसके लिए इनकार किये जाने, ऋण पाने के लिए कई बार शाखाओं में जाना आवश्यक होने, बैंकों द्वारा अपर्याप्त ऋण सहायता दी जाने, ऋण सीमाओं के नवीकरण में विलंब होने तथा ऋणों की जमानत के रूप में स्वयं सहायता समूह की बचत को अवरुद्ध रखने आदि संबंधी विभिन्न मामलों का समाधान करें ताकि वित्तीय सेवाएं सरलता से उपलब्ध हो सकें और ग्राहक के अनुरूप हो सकें।
- बैंकों को राज्य सरकारों के सहयोग से कार्य करके जहां भी व्यवहार्य हो वहां विभिन्न कृषि विज्ञानी और जल प्रबंधन विकास परियाजनाओं का वित्तपोषण करना चाहिए।
- बैंक अपने मुख्य/ नियंत्रक कार्यालयों में तकनीकी स्टाफ की तैनाती, ग्रामीण ऋण के प्रभारी का दायित्व उच्च स्तरीय कार्यपालकों को सौंपने और अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती 3 से 5 वर्ष हेतु करने, वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में स्टाक रखने हेतु अधिक कृषि स्नातकों को लेने पर विचार करें।
- बैंक उनके निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के तहत सुविधाकर्ताओं हेतु डाक घरों से ऋण प्रदायगी, ऋण मूल्यांकन और निगरानी का कार्य बाहर से करवाने की संभावनाओं का पता लगाएं।
- बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णयों और उनके द्वारा अपनायी गई नीतियों के आधार पर अच्छी तरह से कार्यरत पीएसीएस के वित्तपोषण का विचार करें।
- बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी के संवितरण हेतु डिजल जनरेटर सेट पर चलनेवाले कम लागत के एटीएम उपयोग में लाने पर विचार करें। कारोबार की उचित मात्रा के आधार पर ग्रामीण बैंक शाखाओं में कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना की जाए जिससे अंतर-शाखा और अंतर-बैंक जानकारी का प्रवाह मुक्त रहे। ग्रामीण शाखाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए बैंक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं।
- बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपनी प्राप्य राशियों की शीघ्र चुकौती हेतु उचित प्रोत्साहन नीति बनाएं। इसके अलावा, ऋण वसूली न होने के आपूर्ति पक्ष के कारकों से छुटकारा पाने के लिए वे परियोजना मूल्यांकन की अपनी क्रियाविधि की समीक्षा करके उसमें संशोधन करें।
- बैंक विभिन्न राज्यों के उचित कानूनी और विनियामक ढांचे की उपलब्धता होने पर ठेका कृषि से संबद्ध होने पर विचार करें।
- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) की प्रणाली जारी रखी जाए और निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू की जाए।
- सरकार प्रायोजित योजनाओं से बाहर उधार देने के लिए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटाए जाएं।
- बैंक दसवीं योजनावधि की समाप्ति तक एसएसीपी के तहत लघु और सीमांत कृषकों को 40 प्रतिशत तक ऋण दें ।
- कृषि मशीनरी, उपकरण, निविष्टियां आदि बढ़ाने की आवश्यकता के मद्देनजर कृषि मशीनरी, पशुधन और कुक्कुट खाद्य और उत्पादन निविष्टियों के व्यापारियों को उधार देने की उच्चतम सीमा की समीक्षा की जाए।

रिजर्व बैंक सलाहकार समिति की कुछ अन्य सिफारिशों की नाबार्ड, आइबीए, भारत सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं से सलाह करके जांच कर रहा है।

[6] उक्त रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध है।

2.37 सरकार ने 18 जून 2004 को उपायों के पैकेज की घोषणा की है जिसका लक्ष्य है 2004-05 में 30 प्रतिशत की ऋण वृद्धि के साथ तीन वर्षों में कृषि ऋण दुगुना करना। इस घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने वाणिज्य बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये हैं, जबकि नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसी के समान दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए ऋण पुनर्निर्माण और नये ऋण की व्यवस्था ; (ii) लघु और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान ; (iii) ऐसे किसानों को नया वित्त जिनके पूर्ववर्ती ऋणों का निपटान समझौता या बट्टे खाते में ड़ाल कर कर दिया गया है; एवं (iv) गैर-संस्थात्मक उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त किसानों को सहायता देना। इस दिशा में की गयी प्रगति उत्साहजनक है और बैंकों से आग्रह किया गया है कि वे इसकी गति बनाये रखें।

लघु उद्योगों को ऋण

2.38 लघु उद्योगों द्वारा सकल देशी उत्पाद, निर्यात और रोजगार निर्माण में किये जानेवाले योगदान को देखते हुए लघु उद्योग को दिया जानेवाला ऋण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को पर्याप्त ऋण की आपूर्ति होने के संबंध में ध्यान देता है। लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता संबंधी रिज़र्व बैंक के कार्यकारी समूह (अध्यक्ष : डा. ए.एस.गांगुली) ने अप्रैल 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दल की सिफारिशों की सूची उस पर प्राप्त टिप्पणियों के साथ सार्वजनिक चर्चा के लिए रखी गयी है (बाक्स II.7) । लघु और मझौले उद्यमों के लिए ऋणों का यथोचित मूल्य निर्धारण करने के लिए भारतीय ऋण आसूचना ब्यूरो लिमि.रिज़र्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श करके उचित ऋण रिकार्डों की प्रणाली विकसित करेगा।

2.39 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में की गयी घोषणा के अनुसरण में रिज़र्व बैंक द्वारा बड़े उद्योगों के लिए लागू कंपनी ऋण पुनर्निर्माण योजना के अनुसार मझौले उद्यमों के लिए ऋण पुनर्निर्माण की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष समूह (अध्यक्ष : श्री जी.श्रीनिवासन) गठित किया गया। इस समूह में सिडबी और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि हैं और ऐसी आशा है कि वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निर्यात ऋण

2.40 निर्यात ऋण सुपुर्दगी की क्रियाविधि सरल बनाने संबंधी रिज़र्व बैंक के प्रयासों का बाजार में अच्छा स्वागत किया गया। यह बात 2001-02 के दौरान अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद की सहायता से किए गए निर्यातक समाधान सर्वेक्षण से सिद्ध हुई।

2.41 सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने रिज़र्व बैंक से परामर्श करके निर्यात आयात नीति 2003-04 में यह संकेत किया था कि अच्छे पूर्व रिकार्ड के ऋण योग्यतावाले निर्यातकों को सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण उपलब्ध करवाने के लिए रिज़र्व बैंक स्वर्ण कार्ड योजना तैयार करेगा। तदनुसार, चुनिंदा बैंकों तथा निर्यातकों से परामर्श करके स्वर्ण कार्ड योजना बनाई गई है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं : (i) लघु और मझौले क्षेत्र के अच्छे पूर्व रिकार्ड वालों सहित सभी उधार पात्र निर्यातक व्यक्तिगत बैंकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनसे स्वर्ण कार्ड जारी करवाने के लिए पात्र होंगे; (ii) बैंक स्वर्ण कार्डधारकों को प्राप्य लाभों की स्पष्ट जानकारी देंगे ; (iii) कार्ड धारकों के अनुरोधों पर बैंकों द्वारा निर्धारित समय के भीतर तुरंत कार्रवाई की जाएगी; (iv) सिद्धांततः सीमाएं 3 वर्ष के लिए निर्धारित की जाएंगी जिनमें आवश्यक ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 20 प्रतिशत की तत्काल सीमा का प्रावधान होगा; (v) कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पोतलदानपूर्व ऋण प्रदानगी में तरजीह दी जाएगी; और (vi) कार्ड धारकों की ऋण पात्रता योग्यता और अच्छे पूर्व रिकार्ड के आधार पर बैंक संपार्श्विक और ईसीजीसी गारंटी योजनाओं से छूट देने पर विचार करेंगे । 2004-05 की वार्षिक नीति वक्तव्य में किये गये उल्लेख के अनुसार निर्यात ऋण सहजता से उपलब्ध होने के लिए अच्छे पिछले रिकार्डवाले उधारपात्र निर्यातकों के लिए स्वर्ण कार्ड योजना के बारे में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये गये। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंक, निजी क्षेत्र के कई बैंक और विदेशी बैंकों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है।

बुनियादी संरचना संबंधी उधार

2.42 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने वाला एक क्षेत्र है मूलभूत सुविधा हेतु वित्त प्रदान करना (बाक्स II.8) । मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण की विशेषता है व्यापक पूंजी आवश्यकता, उत्पादन पूर्व की दीर्घावधि और उच्च शक्ति अनुपात। मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को ऋण अबाध गति से मिलना सरल करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक नीतिगत उपाय किए गए हैं। अप्रैल 1999 में रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण संबंधी वित्तपोषण, वित्तपोषण का प्रकार, मूल्यांकन, विनियामक अनुपालन/ध्यान, प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अंतर-संस्थागत गारंटी जैसे नए दिशानिर्देश बनाए।

बाक्स II.7: लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता संबंधी कार्यकारी दल

रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण उपलब्धता संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों की जांच की और 4 सितंबर 2004 को रिजर्व बैंक ने ऐसी सिफारिशों की सूची लगायी जिन्हें आगे दिये गये अनुसार वर्गीकृत किया गया है (i) जिन्हें तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया है, (ii) जिनकी और जांच करना आवश्यक है तथा (iii) जो भारत सरकार एवं अन्य संस्थाओं से संबंधित हैं ।

निम्नलिखित सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया है :

- लघु और सीमांत उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की विविध आवश्यकताएं पूरी करने हेतु ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना, लागत नियंत्रण, चौतरफा विक्रय और जोखिम नियंत्रण नामक चार दृष्टिकोण अपनाकर अलग पहचान किए गए एसएमई समूहों को बैंकिंग सेवा प्रदान करके पूर्ण सेवा दृष्टिकोण प्राप्त किया जाए। उधार देने हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण (i) सुपरिभाषित और पहचानयुक्त समूहों से व्यवहार करने (ii) जोखिम मूल्यांकन हेतु उपयुक्त जानकारी की उपलब्धता और (iii) उधारदाता संस्थाओं द्वारा निगरानी करने के उद्देश्य से अधिक लाभप्रद है।
- कंपनी संबद्ध एमएमई समूह माडल को बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा सक्रियता से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बड़े कंपनी गृहों से संबद्ध बैंक इस माडल के संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपूर्तिकर्ताओं, अनुषंगी इकाइयों, व्यापारी आदि को शामिल करते हुए बड़ी कंपनियों से संबद्ध एमएमई का वित्तपोषण करते हुए बड़ी कंपनियों से संबद्ध एमएमई का वित्तपोषण कंपनियों और साथ ही एमएमई सहभागियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकता है।
- सिडबी और अग्रणी बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में उनकी कार्य प्रथाएं अपनायी जाना प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सफल व्यष्टि ऋण प्रबंधन माडल का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण उद्योग के संवर्धन और ग्रामीण कारीगरों, उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को मिलनेवाले ऋण में सुधार के लिए नए लिखत लाने की आवश्यकता है।
- पर्वतीय क्षेत्रों और बाढ़ की बारंबारता वाले और अपर्याप्त परिवहन प्रणाली वाले क्षेत्रों में स्थित ऐसी इकाइयों को ऋण प्रदान करते समय उच्चतर कार्यशील पूंजी सीमाएं ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

कार्यकारी दल की ऐसी सिफारिशें जिनकी पुनः जांच करने की आवश्यकता है निम्नप्रकार हैं :

- एसएमई क्षेत्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए समर्पित राष्ट्र स्तरीय एमएमई विकास निधि की आवश्यकता । एमएमई के लिए कार्य करने और अन्य विकासात्मक वित्तपोषण करने के लिए सिडबी किसी एनबीएफसी (गैर-सार्वजनिक जमाराशि स्वीकारकर्ता) का संवर्धन कर सकती है। बैंक सिडबी द्वारा निर्मित मूल निधि में अंशदान कर सकते हैं (जोखिम बांटने के आधार पर) या विकल्पतः अपने स्वयं के उद्यम वित्तपोषक लिखत गठित कर सकते हैं।
- इस बात की संभावना नहीं है कि एमएमई क्षेत्र के ऋण के पारंपारिक स्रोतों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विशेषता प्राप्त लघु उद्योग शाखाएं आदि) की कम से कम अल्पावधि और मध्यावधि में सेवाएं सुधरने की संभावना नहीं हैं। जहां अनेक एसएमई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण देने में ऐतिहासिक कारणों से अनेक समस्याएं हैं, फिर भी निम्नलिखित जैसी परंपरागत समस्याएं सुलझाने हेतु मार्ग निकालना आवश्यक है:

  (क) बैंक व्यष्टि ऋण एजेंसियों के रूप में विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का संवर्धन और वित्तपोषण करें जो कि एमएमई समूहों को सेवाएं देने हेतु समर्पित होंगे। बैंकों ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) व्यष्टि वित्त मध्यस्थों (एमएफआई) को थोक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और अमरीका तथा अन्य देशों में प्रचलित मानक स्वरूप के आधार पर एमएफआइ प्राप्य संविभाग के प्रतिभूतिकरण के लिए अभिनव मानक तैयार करने चाहिए। ऐसी एसपीवी को सरकार ने विभिन्न राजकोषीय/ कराधान उपायों से आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

  (ख) ऐसी व्यष्टि ऋण मध्यस्थ संस्था, जैसे कोई एनबीएफसी (व्यक्तियों या बैंक समूह से निधिकृत किंतु जिसे सार्वजनिक जमाराशि स्वीकारने की अनुमति नहीं है) ऋण स्तर और जोखिम का मूल्यांकन कर सकती है और लिखत के रूप में एमएमई समूहों को तत्काल ऋण देने का उन्हें सौंपा गया कार्य कर सकती हैं।

  (ग) बड़े बैंक (i) बड़ी कंपनियों से संबद्ध एमएमई और (ii) ऐसे एसएमई समूह जिनकी क्रेडिट रेटिंग की गयी है, की पहचान करना। बैंकों (व्यक्तिगत रूप से या समूह में) से निधियुक्त व्यष्टि ऋण मध्यस्थ (एमएमई - विशिष्ट एनबीएफसी) उत्पाद / सेवा विशिष्ट के एमएमइ के विशिष्ट समूहों की ऋण प्राप्ति को गति देने का वैकल्पिक स्रोत हा सकते हैं। अति लघु और ग्राम उद्योग क्षेत्र के लिए विशेषतः देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, एसएमई को आनेवाली गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एनबीएफसी के अलावा विशेष लिखत तैयार, समर्पित और निधियुक्त करने की आवश्यकता है।

- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में (लघु उद्योग सहित) निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 40 प्रतिशत के एक समान लक्ष्य की सभी देशी और विदेशी बैंकों के लिए सिफारिश की गई है जिससे सभी बैंकों के लिए कार्य का एक स्तर प्राप्त हो सके। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के गतिशील विकास में सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए :

  (क) विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार में रही कमी के प्रतिनिधि स्वरूप सिडबी में रखी गई जमाराशि की अवधि बढ़ाकर तीन वर्ष की जाए ताकि सिडबी एमएमई क्षेत्र के संवितरण का बेहतर प्रबंध कर सके।

  (ख) विदशी बैंकों और सिडबी के बीच निम्न के आधार पर जोखिम बंटवारा तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है : (i) सिडबी द्वारा एमएमई क्षेत्र को दिया गया ऋण और (ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारों में कमी पर विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी में रखी जाने वाले राशि पर देय ब्याज दर एसएमई क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं की सीधी पूर्ति के बजाए ऐसी परिवर्तित की जाए कि उक्त ब्याज दर विदशी बैंकों को प्रोत्साहन देनेवाली सिद्ध न हो।

तीसरी सूची में एसएमई क्षेत्र की परिभाषा, सीजीटीएसआइ की भूमिका, एसएफसी अधिनियम को रद्द करना, लघु उद्यम प्रौद्योगिकी ब्यूरो को स्वतंत्र प्रौद्योगिकी बैंक में परिवर्तित करने संबंधी सिफारिशें लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और सिडबी, लघु उद्योगों हेतु ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएसआई), ऋण सूचना ब्यूरो (इं.) लि. और भारतीय बैंक संघ जैसी अन्य एजेंसियों के विचाराधीन हैं।

बाक्स II.8: बुनियादी संरचना वित्तपोषण : बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

बुनियादी संरचना में निवेश के लिए और परिचालनों तथा सुविधाओं के अनुरक्षण के लिए वित्तपोषण का सर्वोत्तम स्रोत निर्धारित करना लागत पर नियंत्रण और मूलभूत सुविधा सेवा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है जोकि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। सरकार के लिए दानकर्ता और वाणिज्यिक उधारदाताओं सहित निजी क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के निधीयन के मुख्य स्रोत हैं। सरकार के निधि स्रोत में स्वतः का राजस्व तथा उधार शामिल हैं। विकासशील देशों के मामले में, राज्य और स्थानीय शासन की ऋण योग्यता तथा मूलभूत सुविधा सेवा प्रदाता संस्थाओं की कुशलता का कम स्तर पूंजी बाजारों के मूल्यांकन की उनकी योग्यता की मुख्य विषय है। कुछ देशों में जहां ऋण बाजार विकसित नहीं हुआ है या जहां स्थानीय प्रशासन की ऋण तक सीमित पहुंच है, वहां मूलभूत सुविधा में निवेश के वित्तपोषण हेतु स्थानीय शासन की ऋण तक सीमित पहुंच है, वहां मूलभूत सुविधा में निवेश के वित्तपोषण हेतु स्थानीय शासन अनुमति देने के लिए मूलभूत सुविधा बैंक गठित किए गए हैं।

बुनियादी संरचना हेतु वित्तपोषण करने वालों में दूसरा महत्त्वपूर्ण समूह दानकर्ताओं का है। यह अनुमान लगाया गया है कि विकासशील देशों में प्रति वर्ष आवास और बुनियादी संरचना के लिए 4 बिलियन अ.डा. का वित्तपोषण दानकर्ताओं द्वारा किया जाता है जोकि कुछ निवेश वित्तपोषण का लगभग 3-4 प्रतिशत होता है। विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि सरकार तथा दानकर्ता मिलकर काम करें ताकि आर्थिक रूप से कुशल परियोजना और तकनीक का चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

निजी समान शेयरों का वित्तपोषण तब होता है जब बुनियादी संरचना में निजी क्षेत्र का स्वामित्व या भागीदारी संबंधी हित होता है। इसमें निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) के कुछ प्रकार शामिल हो सकते हैं जिनमें निजी क्षेत्र निर्माण के बाद कुछ समय तक परिचालन होता है और उसके बाद वह सुविधा सरकार को अंतरित कर दी जाती है। भारत में बीओटी व्यवस्था पण्य तथा सेतू निर्माण तथा रखरखाव हेतु वित्तपोषण के लिए प्रयोग में लायी गई है। बीओटी का एक विकल्प है रियायत जिसमें कोई निजी संस्था मूलभूत सुविधा के किसी विद्यमान घटक के परिचालन या उसके विस्तार हेतु सरकार से ठेका लेती है। बीओटी की तुलना में रियायत अधिक सामान्य है तथा शायद अधिक संभावना प्रदान करती है। निजी समान शेयर वित्तपोषण में निम्न बातें शामिल हैं : (i) इससे उन संसाधनों तक पहुंचा जा सकता है जोकि अन्यथा अनुपलब्ध होते; (ii) अशोध्य निवेश करने के सरकारी क्षेत्र के जोखिम को कम करना; (iii) नवोन्मेष; अर्थात सेवा सुपुर्दगी एजेंसी ।

बुनियादी संरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों के विचार का मुख्य मुद्दा उधारकर्ता संस्थाओं की उधार योग्यता और परियोजना की व्यवहार्यता होता है। मूलभूत सुविधा सेवा निर्माण और उनके अनुरक्षण का दायित्व सौंपे गए स्थानीय सरकारी संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उधार-योग्यता की कमी और उपयोगकर्ता प्रभार /करों की अपर्याप्तता के कारण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए विशेषतः विकासशील देशों में मूलभूत सुविधा हेतु निधि उपलब्ध करना मुश्किल होता है। मूलभूत सुविधा परियोजनाओं को सरकार द्वारा पूरी गारंटी के माध्यम से दिए गए ऋण का अनेक देशों में सहारा लिया गया है किंतु अधिकांश मामलों में इससे ऋण मूल्यांकन में ढिलाई को बढ़ावा मिला है। ऋण प्रदानगी कर्मठता का विकल्प न बन जाए इसके लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कर-रियायत और विनियामक छूट के रूप में दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन मूलभूत सुविधा क्षेत्र के ऋण आगम को प्रोत्साहित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। इसके साथ, सरकार को मूलभूत सुविधा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार करके उधार वातावरण को उत्साहजनक बनाना चाहिए।

निवेश दीर्घावधि तक बन रहे और संसाधनों की उपयोगिता की कार्य कुशलता का बढ़ना सुनिश्चित करने के लिए सुधारों हेतु वित्तपोषण तंत्र को उचित प्रोत्साहन और सहायता देने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र और जन सामान्य से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के लिए उक्त तंत्र द्वारा सीमित सार्वजनिक संसाधन उपयोग में लाना आवश्यक है। ऋण वृद्धि तकनीकों सहित वित्तपोषण का अभिनव स्वरूप मूलभूत सुविधा सेवाओं की निधीयन लागत कम कर सकता है और उन्हें विभिन्न जोखिम धारकों में बांटकर जोखिम भी कम कर सकता है।

संदर्भ :

फॉक्स, विलियम एफ., 'स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स फॉर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट,' विश्व बैंक ।

मेहता, एम. (2003) 'मिटिंग दि फिनान्शियल चॅलेन्ज फॉर वाटर सप्लाय एंड सॅनिटेशन,' विश्व बैंक।

भारिबैं, (1999) 'मूलभूत सुविधा वित्तपोषण पर दिशानिर्देश।'

2.43 बुनियादी सुविधा क्षेत्र को प्राप्त अतीव महत्व तथा इस क्षेत्र को दी जा रही उच्च प्राथमिकता को देखते हुए बैंकों को 1999-2000 से विनियामक और समुचित पहलुओं के संबंध में कतिपय रियायतें दी गयी ताकि इस क्षेत्र का ऋण प्रवाह बढ़े। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है (i) बुनियादी सुविधा संबंधी उधार कार्यक्रमों की परिभाषा की व्याप्ति बढ़ाना, (ii) समझदार एकल उधारकर्ता की ऋण-सीमा में छूट देते हुए उसे बुनियादी सुविधा प्रदान करनेवाली बुनियादी सुविधा कंपनियों के मामले में पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया, (iii) बुनियादी सुविधा से संबंधित कतिपय शर्तें पूरा करनेवाले प्रतिभूतिकृत (जमानत प्राप्त) पेपर में निवेश पर 50 प्रतिशत का रियायती जोखिम भार लगाना, (iv) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निजी क्षेत्र की अर्थक्षम बुनियादी क्षेत्र सुविधा संबंधी कार्य प्रत्यक्षतः करनेवाली विशेष प्रयोजन संस्थाओं को कतिपय शर्तों के अधीन ऋण प्रदान करने की अनुमति देना और (v) कतिपय सुरक्षा उपायों और जहां उचित हों, के साथ प्रवर्तकों को विद्यमान बुनियादी सुविधा कंपनियों में नियंत्रक हैसियत प्राप्त करने के लिए ऋण प्रदान करना।

2.44 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में, बुनियादी क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी परिभाषा की व्याप्ति बढ़ाकर उसमें कृषि क्षेत्र और सामाजिक बुनियादी क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं / क्षेत्र

बाक्स II.9: बुनियादी संरचना उधार की परिभाषा

ऋणदाताओं (अर्थात बैंक, वित्तीय संस्थाएं या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं) द्वारा नीचे निर्दिष्ट प्रकार से किसी बुनियादी सुविधा के लिए जिस किसी भी रूप में दी जानेवाली ऋण सुविधा 'बुनियादी संरचना उधार' की परिभाषा की परिधि में आती है। दूसरे शब्दों में, किसी बुनियादी सुविधा जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी की परियोजना हो या इस स्वरूप की कोई बुनियादी सेवा हो, को विकसित करने, परिचालित करने और उसके अनुरक्षण करने में लगी किसी उधारकर्ता कंपनी को दी जानेवाली ऋण सुविधा :

i) एक सड़क जिसमें टोल सड़क, एक पुल या एक रेल प्रणाली शामिल है;

ii) हाइवे परियोजना के एक अभिन्न भाग स्वरूप अन्य गतिविधियों सहित एक हाइवे परियोजना;

iii) एक बंदरगाह, हवाई अड्डा, अंतर्स्थानीय जलमार्ग या अंतर्स्थानीय बंदरगाह;

iv) एक जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, जल प्रक्रिया प्रणाली, सफाई और मल निःसारण प्रणाली या सॉलिड वेस्ट प्रबंध प्रणाली

v) चाहे मूलभूत या सेल्यूलर, दूरसंचार सेवाएं जिसमें रेडिओ पेजिंग, देशी सैटेलाइट सेवा (अर्थात दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्वाधिकृत और परिचालित सैटेलाइट) ट्रंकिंग नेटवर्क, ब्राडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं ;

vi) एक औद्योगिक स्थान या विशेष आर्थिक जोन;

vii) बिजली निर्माण या बिजली निर्माण और संवितरण;

viii) नये ट्रांसमीशन या संवितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाते हुए बिजली का ट्रांसमीशन या संवितरण;

ix) ऐसी परियोजनाओं जिनमें एग्रो-प्रोसेसिंग और कृषि को निवेश योग्य वस्तुओं (इनपुट) की आपूर्ति शामिल हैं, का निर्माण;

x) संसाधित कृषि-उत्पादों, नाशवान वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां और फूलों की गुणवत्ता जांच सुविधा सहित परिरक्षण और भंडारण के लिए विनिर्माण।

xi) शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों का निर्माण

शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। (i) ऐसी परियोजनाओं जिनमें एग्रो-प्रोसेसिंग और कृषि को निवेश योग्य वस्तुओं (इनपुट) की आपूर्ति शामिल हैं, का निर्माण; (ii) संसाधित कृषि-उत्पादों, नाशवान वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां और फूलों की गुणवत्ता जांच सुविधा सहित परिरक्षण और भंडारण के लिए विनिर्माण; और (iii) शैक्षिक संस्थाओं और अस्पतालों का विनिर्माण (बाक्स II.9) । 11 जून 2004 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बुनियादी क्षेत्र को दिये गये उनके ऋण की पांच वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता तक न्यूनतम पांच वर्षों की परिपक्वतावाले दीर्घावधि बांड जुटाने की अनुमति दी गयी। यह अपेक्षित है कि बांडों के जरिये संसाधन जुटाने से पूर्व बैंकों ने ऐसी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं को प्रदान किया होना चाहिए। राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधा वित्तपोषण के महत्व को देखते हुए राज्य वित्त सचिवों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी सुविधा वित्तपोषक के लिए ऋण वृद्धि पर एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जिसके सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, चुनिंदा बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और रिज़र्व बैंक से लिये गये हैं। उक्त समूह बुनियादी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए संस्थागत वित्त को आकर्षित करने के लिए राज्य सार्वक्षेत्र उपक्रमों/एसपीवी की रेटिंग/ उधार लेने की क्षमता में सुधार लाने के लिए ऋण लिखतों को बढ़ाने पर विचार कर रही है जिसे राज्य सरकारें दे सकती हैं।

2.45 एनबीएफसी द्वारा पुरानी आस्तियों के वित्तपोषण में प्राप्त सुविज्ञता तथा ऋण प्रबंध को बढ़ावा देने के मद्देनजर 2004-05 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में बैंकों को एनबीएफसी द्वारा वित्तपोषित पुरानी आस्तियों के लिए उन्हें (एनबीएफसी को) वित्तपोषण की अनुमति दी गयी बशर्ते बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित उपयुक्त ऋण नीतियां हो।

2.46 कंपनी ऋण बाजार का अधिक विकास करने की दृष्टि से एक दल का गठन किया गया जिसके सदस्य रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य बाज़ार सहभागियों से लिए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ दल प्राथमिक निर्गम से तथा द्वितीयक बाज़ार की वृद्धि से संबंधित मुद्दों, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) तथा रेहन समर्थित पहलू; तथा कारोबार निपटान और कंपनी ऋण प्रतिभूतियों के लेखांकन से संबंधित मुद्दों की जांच करे। आशा है कि समूह जनवरी 2005 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

3. विवेक-सम्मत विनियमन

2.47 वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं में विशेष रूप से बैंकों का विनियमन महत्त्वपूर्ण है जिससे न केवल संस्थाओं को बेहतर ढंग से कार्य करने में सहायता मिलती है, अपितु इससे अर्थव्यवस्था को समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार होने में मदद मिलती है। वित्तीय क्षेत्र के निरंतर चल रहे सुधारों का प्रमुख घटक है - समुचित और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत बनाना जिसे स्वस्थ जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करते हुए और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाते हुए निरंतर आधार पर किया जा रहा है। (बाक्स 11.10) क्योंकि वित्तीय क्षेत्र परिपक्व होता जाता है और वह अधिक जटिल बनता जाता है। अतः अविनियमन की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है, लेकिन वह इस प्रकार हो कि सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाएं मजबूत हो जाएं और समग्रतः प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुरक्षित हो । चूंकि अविनियमन जारी है अतः अर्थव्यवस्था खुली होते जाने के संदर्भ में विनियामक पद्धतियों पर दक्ष निगरानी के प्रति तथा विनियमों

बाक्स II.10: बैंकों का विशेष स्वरूप

पिछले दो दशकों में बैंकों को समझने, ऐसे विशिष्ट पहलुओं की पहचान करने, जिनके कारण उन्हें विशेष वित्तीय बिचौलियों की पात्रता प्राप्त होती है, में वित्तीय सिद्धान्तों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बैंकों ने भिन्न-भिन्न कार्यों में जैसे चलनिधि और भुगतान सेवाएं, ऋण आपूर्ति और सूचना प्रावधान में अन्य प्रकार के बिचौलियों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से तुलनीय लाभ विकसित किये हैं। बैंक 'विशेष' हैं क्योंकि वे न केवल गैर-संपार्श्विक, बड़ी सार्वजनिक निधियां स्वीकार करते और विनियोजित करते हैं, अपितु वे ऋण निर्माण के जरिए ऐसी निधियों को उंचा उठाते हैं। अतः बैंकों पर एक न्यासीय दायित्व भी आता है। जमाराशियों के जरिये जुटायी गयी निधियों का विनियोजन बैंक आर्थिक गतिविधियों का वित्तपोषण तथा भुगतान प्रणाली को सहायता प्रदान करते हैं। बैंकिंग प्रणाली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मध्यवर्ती बात होती है ; और यह चाहे स्थानीय रूप से या विदेश से स्वाधिकृत कैसा भी बैंक हो पर लागू होता है। एक विश्व बैंक अध्ययन (2000) में बॉसवन, आर्थिक विकास के भिन्न-भिन्न चरणों में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्त विभिन्न दक्षता/स्थिरता संरूपण निर्मित करते हुए किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं इसकी जांच करता है।

बैंकों के मालिकों या शेयरधारियों एक न्यून पण होती है और बावजूद इसके कि उनकी पण बहुत छोटी है, बैंकों की पर्याप्त लिवरेज क्षमता (एक की तुलना में दस से अधिक) के कारण बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निधियां उनके नियंत्रण में रहती हैं। अतः एक तरह मालिक एक न्यासी के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार उन्हें सौंपी गयी निधियों के विनियोजन के लिए वे सुयोग्य और उचित होने चाहिए । निरंतर रूप से स्थिर तथा हमेशा परिचालन में रहना अलग-अलग बैंकों में तथा बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है। जिस गति से एक चालू स्थितिवाले बैंक की स्थिति खराब हो जाती है उसकी किसी अन्य संगठन के साथ तुलना नहीं की जा सकती है (डायमंड - दिबविग, 1983)। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जमाकर्ताओं में हानिकर जोखिम उठाने के प्रति सहिष्णुता काफी कम होती है जिनमें से अधिकांश जमाकर्ता अपनी आजीवन बचत बैंकों में रखते हैं। इस कारण, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय दृष्टि से विनियामक पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बैंकों में संकेंद्रित शेयरधारिता जो भारी सार्वजनिक निधियां नियंत्रित करती है, से व्यावहारिक संकट की समस्या तथा मालिकों के कारोबार के साथ सहसंबंध के कारण स्वामित्व के संकेंद्रण के जोखिम से संबंधित विषय सामने आ जाते हैं। अतः स्वामित्व को विशाखीकृत किया जाना, और साथ ही, ऐसे मालिकों तथा निदेशकों की 'सुयोग्य और उचित स्थिति' सुनिश्चित करना वांछनीय है। साथ ही, विशाखीकृत स्वामित्व के रहते चिंता रहती है कि संभवतः जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा सर्वांगीण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी संचालन तथा व्यावसायिक प्रबंधन के संबंध में और अधिक चिंता होती है। अतः। विनियामक तथा पर्यवेक्षी तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों के पास ऐसे जोखिमों, जो कि उनके परिचालनों के दौर में अपरिहार्य हैं, को पूरा (कुशन) करने के लिए पर्याप्त पूंजी है, वे विवेकसम्मत तथा पारदर्शी लेखांकन प्रथाएं अपनाते हैं और उनका प्रबंधन जोखिम प्रबंधन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार होता है। इस प्रकार, बैंकों को विशेष प्रकार के वित्तीय बिचौलियों के रूप में माना जाता है जिसे विनियामक प्राधिकारियों द्वारा भिन्न प्रकार के सहयोग दिये जाने और यहां तक कि बैंक के असफल हो जाने के जोखिम में प्रतिस्पर्धा के संबंध में विशेष रक्षात्मक उपाय किये जाने की जरूरत है।

संदर्भ :

बियागो बोसोन (2000), वॉट मेकस बैंक स्पेशियल ? बैंकिंग, वित्त और आर्थिक गतिविधियों पर एक अध्ययन, विश्व बैंक

कोरीगन ई. गेराल्ड (1982), आर बैंक्स स्पेशियल ? वार्षिक रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ माइनापोलिस।

डाइमण्ड डी डब्ल्यू और पी एच दिबविग (1983) 'बैंक रन्स, डिपॉजिट इन्शोरेंस एण्ड लिक्विडिटी' जर्नल ऑफ पोलिटिकल खंड 91 सं. 3: 401-14

फामा, ई (1985), 'वाट इज डिफरेंट एबाउट बैंक्स ? 'जर्नल ऑफ मानेटरी इकानामिक्स, 15 : 29-39।

मोहन, राकेश (2004), 'ओनरशिप एण्ड गवर्नेंस इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया', मुंबई में भारतीय कॉनफेडरेशन द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकिंग में स्वामित्व और संचालन पर आयोजित सम्मेलन में दिया गया भाषण।

के कार्यान्वयन की हमी पर बल दिया जा रहा है। सूक्ष्म विनियमन से आमूल चूल परिवर्तन कर समुचित विनियमन तथा स्थूल प्रबंधन की ओर बढ़ने से यथोचित अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क अपनाते हुए विवेकसम्मत मानदंडों को सुदृढ़ बनाये जाने पर बल दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानकों पर गठित स्थायी समिति द्वारा 11 परामर्शदात्री /तकनीकी समूहों की रिपोर्टों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी और कोडों पर परामर्शदाताओं के पैनल ने विचार किया। पैनेल के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय बैंकों के समुचित पर्यवेक्षण की महत्त्वपूर्ण बातें नीचे दी गयीं है।

बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण

2.48 भारत के सर्वाधिक बड़े बैंक अभी भी सरकारी क्षेत्र में हैं और ये बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों के 75 प्रतिशत भाग को नियंत्रित करते हैं। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के काफी मात्रा में प्रवेश और बैंकिंग क्षेत्र के धीमी गति से अविनियमन से प्रतिस्पर्धा का वातावरण बना है। बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण के संबंध में वर्ष के दौरान कई पहलें की गयी हैं।

2.49 निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों के अंतरण/आबंटन की अभिस्वीकृति देने के संबंध में 3 फरवरी 2004 को जारी दिशानिर्देश किसी निजी क्षेत्र के बैंक की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत और अधिक के शेयरों के किसी अभिग्रहण पर होंगे। ऐसा एक तंत्र विकसित करने का उद्देश्य है जिससे कि यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे शेयरधारी जिनकी कुल धारित राशि निर्दिष्ट प्रारंभिक सीमाओं से अधिक है, शेयरों के अंतरण की अभिस्वीकृति दिये जाने के पहले 'सुयोग्य और उचित' टेस्ट पूरा करते हैं। आवेदक 5 प्रतिशत और अधिक की निर्दिष्ट न्यूनतम प्रारंभिक सीमा की स्थितिवाले शेयरधारी की स्थिति में आने के लिए सुयोग्य और उचित है इसका निर्धारण करते समय रिज़र्व बैंक अन्य मानदंडों सहित संबंधित तथ्यों जैसे आवेदक

की वित्तीय मामलों में ईमानदारी, प्रतिष्ठा और पिछला रिकार्ड तथा कर संबंधी कानूनों के पालन को ध्यान में रखता है जोकि जमाकर्ताओं के हितों एवं वित्तीय प्रणाली की सुस्वस्थता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

2.50 निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण संबंधी व्यापक नीतिगत ढांचे के 2 जुलाई 2004 को चर्चा तथा प्रति-सूचना हेतु पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित प्रारूप के पीछे उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना था कि निजी क्षेत्र के बैंकों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण अच्छी तरह से विशाखीकृत है, महत्त्वपूर्ण शेयरधारी (अर्थात 5 प्रतिशत और अधिक की शेयरधारिता) 3 फरवरी 2004 के दिशानिर्देशों में निहित प्रकार से 'सुयोग्य और उचित' है तथा बैंक के कार्यकलापों का प्रबंधन करनेवाले निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी 25 जून 2004 के परिपत्र में निहित प्रकार से 'सुयोग्य और उचित' हैं और वे स्वस्थ कंपनी संचालन के सिद्धांतों का पालन करते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और संचालन संबंधी ड्राफ्ट नीति सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं तथा विभिन्न पणधारियों के साथ हुए विचार विमर्श के आधार पर नीतिगत ढांचे के संबंध में दूसरे प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा शीघ्र ही इसे पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जायेगा।

बैंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ)

2.51 बैंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर भारत सरकार की एफडीआइ नीति लागू है। राष्ट्रीयकृत बैंक के मामले में बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के प्रावधानों के अनुसार चुकता पूंजी में सभी प्रकार के विदेशी निवेश पर 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा निर्धारित की गयी है। निजी क्षेत्र के बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा किये जानेवाले निवेशों के संबंध में नीति में अनिवासी भारतीयों के निवेश को 40 प्रतिशत तक और एफडीआइ को 20 प्रतिशत तक सीमित किया गया है, यह इस शर्त पर है कि अनिवासी भारतीय निवेश और एफडीआइ निवेश मिलकर भी इस क्षेत्र की 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की समग्र सीमा के भीतर होने चाहिए। विदेशी संस्थागत निवेशकों के 40 प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त 24 प्रतिशत अर्जित करने की अनुमति दी गयी।

2.52 विदेश प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली को उदार बनाने के साथ बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वतः मार्ग के अधीन लाया गया। 21 मई 2001 की भारत सरकार की घोषणा के अनुसार, मार्ग के अधीन निजी क्षेत्र में सभी स्रोतों से 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गयी जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की शर्त पर है। विदेशी निवेशों में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ), निजी स्थानन, एडीआर/जीडीआर में जारी शेयर तथा विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआइपीबी) के अनुमोदन से वर्तमान शेयरधारियों से शेयर प्राप्त करना शामिल है। स्वतः मार्ग के अधीन शेयरों के निर्गम उसी या संबंधित क्षेत्र में वित्तीय या तकनीकी सहभागिता पानेवाले विदेशी निवेशकों को उपलब्ध नहीं होंगे; ऐसे मामलों में वस्तुतः एफआइपीबी ते अनुमोदन की आवश्यकता हैं।

2.53 बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को और उदार बनाने की दृष्टि से सरकार ने (5 मार्च 2004) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किये जानेवाले निवेशों सहित स्वतः मार्ग के अधीन निजी क्षेत्र में एफडीआइ सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाले दिशानिर्देशों की शर्त पर है। किसी निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी स्रोतों से विदेशी निवेश उस बैंक की चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत की संयुक्त उच्चतम सीमा तक अनुमत होंगे। इनमें शामिल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों, एनआरआइ द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के अधीन किये जानेवाले निवेश और विदेशी कंपनी निकायों द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अभिग्रहित शेयर तथा इसमें आइपीओ, निजी स्थानन, जीडीआर/एडीआर तथा वर्तमान शेयरधारियों से शेयर अभिग्रहण करना भी शामिल बना रहेगा। तथापि, विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा चुकता पूंजी के 74 प्रतिशत की कुल विदेशी निवेश उच्चतम सीमा के भीतर 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और हर समय पर चुकता पूंजी का कम से कम 26 प्रतिशत अंश निवासियों द्वारा धारित होना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक के विचाराधीन हैं।

निवेश / ऋण जोखिम संबंधी मानदंड

2.54 रिज़र्व बैंक ने भारत में अलग-अलग व्यक्ति तथा समूह उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले बैंक वित्त पर विनियामक सीमाएं निर्धारित की हैं ताकि ऋण के संकेंद्रण से बचा जा सके और उसने बैंकों को सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योगों या क्षेत्रों (वास्तविक संपदा, पूंजी बाजार आदि) को दिये जानेवाले अपने वित्त की सीमा निर्धारित करें ताकि बैंकों द्वारा बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, बैंकों से यह भी अपेक्षित था कि वे शेयरों, डिबेंचरों और बांडों में किये जानेवाले निवेशों की जमानत पर लिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में कतिपय सांविधिक तथा विनियामक ऋण सीमाओं का पालन करें।

अलग-अलग व्यक्तियों/समूह उधारकर्ताओं को ऋण जोखिम

2.55 सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि देशी और विदेशी दोनों ही बैंकों द्वारा एकसमान रूप से जोखिम की उच्चतम सीमा निर्धारित करने संबंधी पूंजी-पर्याप्तता मानकों के अधीन यथा परिभाषित पूंजीगत निधियों की अवधारणा अपनायी जाए

जो 31 मार्च 2002 से लागू होगी। बैंकों को पूंजीगत निधियों के क्रमशः 15 और 40 प्रतिशत की एकल/समूह उधारकर्ता ऋण सीमा मान लेने की अनुमति दी गयी जिसमें बुनियादी सुविधा क्षेत्र की ऋण सीमा के लिए पूंजीगत निधियों के 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की अतिरिक्त अनुमति होगी। इसके अलावा, जून 2004 में यह निर्णय लिया गया कि अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से यह ऋण सीमा किसी उधारकर्ता को पूंजीगत निधियों के और 5 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं (अर्थात एकल उधारकर्ता को 20 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं को 45 प्रतिशत)। बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिये गये ऋण के संबंध में बैंक क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत से अधिक पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त मंजूरी पर विचार कर सकते हैं। जहां कहीं बनायी गयी हो वहां पर सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अधीन ऋण दिये जाने के मामले में भी ऋण सीमाएं लागू होंगी। संबंधित सीमाओं की तुलना में ऊपर उल्लिखित उधार सीमाओं की मात्रा की गणना करते समय निम्नलिखित रियायतों की अनुमति है : (i)पुनर्वास पैकेजों के अधीन कमजोर/रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को प्रदान की जानेवाली ऋण सुविधाएं (ब्याज और अनियमितताओं के निधियन सहित), (ii) ऐसे उधारकर्ता जिन्हें खाद्यान्न ऋण के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सीधे ही सीमाएं आबंटित की जाती हैं, (iii) जहां भारत सरकार द्वारा मूलधन और ब्याज पूर्णतः गारंटीकृत होता है और (iv) बैंकों की अपनी मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋण और अग्रिम।

कंपनियों की अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण सीमाएं

2.56 हर बैंक द्वारा एक ऐसी नीति सुनिश्चित करने के लिए जो बैंकों के अपने ग्राहकों की विदेशी मुद्रा ऋण सीमाओं से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों का पता लगाती है तथा उन्हें ध्यान में लेती है, बैंकों द्वारा 10 लाख अमेरीकी डालर से ऊपर के विदेशी मुद्रा ऋण (या ऐसी न्यूनतर सीमाएं जो बैंकों के संविभागों की तुलना में उचित मानी जा सकती है) ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों की प्रतिरक्षा के संबंध में निहित नीति के आधार पर ही दिये जाने चाहिए। साथ ही बैंक के बोर्डों द्वारा बनायी जानेवाली प्रतिरक्षा नीति में निम्नलिखित बाते छोड़ दी जा सकती हैं : (i)जहां निर्यातों का वित्तपोषण करने के लिए फोरेक्स ऋण दिये जाते है वहां पर बैंक प्रतिरक्षा दिये जाने का आग्रह न करें बशर्ते ग्राहकों के पास ऋण राशि की रक्षा के लिए अरक्षित प्राप्य राशियां हो, (ii) फोरेक्स ऋण जो फोरेक्स व्यय की पूर्ति किये जाने के लिए दिये जाते हैं। चुनिंदा बैंकों के हाल के अध्ययन से पता चला है कि हालांकि अधिकांश बैंकों ने अपने बोर्डों द्वारा अधिदेशित नीतियां अपनायी हैं, फिर भी, बैंक अक्सर अपने ग्राहकों के पास उपलब्ध प्राकृतिक 'प्राकृतिक प्रतिरक्षा (हेज)' पर निर्भर रहते हैं। साथ ही, कंपनी के ग्राहकों के कुल ऋण जोखिम संबंधी सूचना भी बैंकों के पास तत्काल उपलब्ध नहीं थी। सर्वांगीण जोखिम की दृष्टि से बैंकों को अपने बड़े उधारकर्ताओं से उनके अप्रतिरक्षित फोरेक्स ऋणों संबंधी जानकी प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया ताकि बैंक निरंतर आधार पर ऐसे कारपोरेटों के प्रति अपने स्वयं के जोखिम का निर्धारण कर सकते हैं।

शेयरों की जमानत/गारंटियां जारी किये जाने पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर मार्जिन

2.57 3 जनवरी 2004 से बैंकों द्वारा दिये जानेवाले सभी अग्रिमों/आइपीओ के वित्तपोषण/बैंकों द्वारा दी जानेवाली गारंटियों के संबंध में मार्जिन आवश्यकताएं 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गयी। साथ ही, बैंकों को सूचित किया कि बैंकों द्वारा दी जानेवाली गारंटियों के संबंध में 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी मार्जिन (50 प्रतिशत के मार्जिन के भीतर) रखा जाना चाहिए। तथापि, 18 मई 2004 से, जब इक्विटी बाजार में तीव्र गिरावट आयी थी, मार्जिन यथास्थिति बना दिया गया है और बैंकों को सूचित किया गया है कि सभी अग्रिमों/आइपीओ के वित्तपोषण जारी की जानेवाली गारंटियों की जमानत पर दिये जानेवाले सभी अग्रिमों पर मार्जिन आवश्यकता 40 प्रतिशत होगी। पूंजी बाजार कार्यकलापों के लिए बैंकों द्वारा जारी की जानेवाली गारंटिया के संबंध में वे 20 प्रतिशत की (40 प्रतिशत के समग्र मार्जिन के भीतर) न्यूनतम नकदी मार्जिन रख सकते हैं।

कर्मचारियों को अपनी स्वयं की कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए बैंक वित्त

2.58 कर्मचारियों को अपनी स्वयं की कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए सहायता प्रदान करते हुए बैंक 50,000 रुपये या छः महीनों के वेतन की मात्रा, जो भी कम हो, तक वित्त प्रदान कर सकते हैं इस आशय के अनुदेश की कई कंपनियों द्वारा कर्मचारी स्टाक विकल्प (ईएसओपी) और अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावद्वारा कर्मचारी कोटा दिये जाने की बात तथा कई बैंकों में जोखिम का मूल्यांकन करने की तगड़ी प्रणाली भी लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षा की गयी है। 6 फरवरी 2004 को बैंकों को सूचित किया गया है कि कर्मचारियों को ईएसओपी या आइपीओ के अधीन अपनी स्वयं की कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों को वित्त प्रदान करते समय वे आइपीओ वित्तपोषण पर मार्जिन आवश्यकताओं सहित वर्तमान विनियमनों की शर्त पर अपना निर्णय स्वयं कर सकते हैं। तथापि, ऐसे सभी वित्तपोषणों को पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर पूंजी बाजार को दी जानेवाली बैंकों की ऋण सीमा के एक भाग के रूप में माना जाए। साथ ही, ये अनुदेश अपने स्वयं के कर्मचारियों को ईएसओपी/आइपीओ के अधीन शेयर ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता देनेवाले बैंकों पर लागू नहीं हैं। बैंकों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने संबंधी विषयों पर भी पुनर्विचार किया गया (बाक्स II.11)।

बाक्स II.11: बैंकों द्वारा लाभांश घोषित करना

बैंकों द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में अब तक अपनाये गये नीतिगत दृष्टिकोण की रिज़र्व बैंक द्वारा समीक्षा की गयी और अप्रैल 2004 में यह निर्णय लिया गया कि लाभांश के भुगतान पर रखा गया विनियामक ध्यान 'लाभांश की दर' से हटाकर 'प्रदत्त लाभांश अनुपात' पर लाया जाए। रिज़र्व बैंक ने लाभांश घोषित करने संबंधी मानदण्डों में संशोधन किया और संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को लाभांश घोषित करने के पात्र बनने के कतिपय मानदण्ड पूरे करने होंगे अर्थात बैंक का सीआरएआर पहले के पूर्ण दो वर्षों में और जिस लेखा-वर्ष के लिए लाभांश घोषित करने का वह प्रस्ताव करता है उसमें कम से कम 11 प्रतिशत होना चाहिए तथा उसकी निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 3 प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिनमें आस्तियां बाधित हो जाने की स्थिति में और स्टाफ के सेवानिवृत्ति, लाभ संविधिक प्रारक्षित निधि और निवेश घट-बढ़ अनुपात आदि में अंतरित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना शामिल है।

लाभांश घोषित करने के लिए अर्हता-प्राप्त बैंक रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना लाभांश का भुगतान करने के पात्र हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित और बातों का अनुपालन करते हैं : (i) प्रदत्त लाभांश, अनुपात 33.33 प्रतिशत से अधिक नहीं है, (ii) प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होना चाहिए, (iii) प्रदत्त लाभांश अनुपात का हिसाब एक वर्ष में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में किया जाता है, (iv) यदि संबंधित अविध के लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल हो तो, प्रदत्त अनुपात का हिसाब 33.33 प्रतिशत के विवेकसम्मत अनुपात की उच्चतम सीमा के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर किया जायेगा, और (v) बैंक जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित कर रहा है उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा-परीक्षकों के किसी प्रतिबंध से मुक्त होने चाहिए जिनका उस वर्ष के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि इस आशय का कोई प्रतिबंध हो तो प्रदत्त लाभांश अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त शर्तें पूरा करनेवाले परंतु 33.33 प्रतिशत से अधिक का लाभांश घोषित करन के इच्छुक बैंकों को ऐसे उच्चतर लाभांश की घोषणा के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए और रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अनुरोधों पर मामलावार आधार पर विचार किया जायेगा। उपर्युक्त मानदंड पूरा करनेवाले बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित लेखांकन अवधि के लाभ में से अंतरिम लाभांश घोषित करने के भी पात्र हैं। तथापि, संचयी अंतरिम लाभांश संबंधित लेखांकन अवधि के लिए हिसाब लगाये गये प्रदत्त लाभांश अनुपात (अर्थात 33.33 प्रतिशत) की विवेकसम्मत उच्चतम सीमा के भीतर होना चाहिए। निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक मात्रा के अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

यदि कोई बैंक निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करता है तो उसे कोई लाभांश घोषित करने से पूर्व रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना चाहिए। इन बैंकों से प्राप्त होनेवाले अनुरोधों पर रिज़र्व बैंक मामलावार आधार पर विचार करेगा।

लाभांश घोषित करनेवाले सभी बैंकों को निर्दिष्ट प्रोफार्मा में लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के ब्यौरे सूचित करने होंगे। उक्त संशोधित दिशानिर्देश 31 मार्च 2004 को समाप्त लेखांकन वर्ष से लागू हैं।

गैर -जमानती गारंटियों और गैर -जमानती अग्रिमों की ऋण सीमा

2.59 बैंकों को गैर-जमानती गारंटियों के रूप में अपनी प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार सीमित करना चाहिए कि बैंक की 20 प्रतिशत बकाया गैर-जमानती गारंटियाँ तथा कुल बकाया गैर-जमानती अग्रिम कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो इस आशय का अनुदेश हटा लिया गया है ताकि बैंकों के बोर्ड गैर-जमानती ऋण सीमाओं संबंधी अपनी नीतियां बना सकें। साथ ही, गैर-जमानती ऋण सीमाओं की गणना के लिए दी गयी सभी छूटें भी रद्द हो गयी हैं। तथापि, दृष्टिकोण और कार्यान्वयन में समानता को सुनिश्चित करने के लिए 'गैर-जमानती ऋण सीमा' को ऐसी ऋण सीमा जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य प्रारंभ से बकाया ऋण सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, के रूप में परिभाषित किया गया है और 'प्रतिभूति' से आशय है, बैंक पर उचित रूप से प्रभारित मूर्त प्रतिभूति। साथ ही, गैर-जमानती 'अवमानक' आस्तियों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा अर्थात बकाया शेष पर कुल 20 प्रतिशत, तथापि गैर जमानती 'संदिग्ध' आस्तियां 100 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रहेंगी।

वर्तमान खातों के संबंध में अपने 'ग्राहक को जानिए' संबंधी दिशा-निर्देश

2.60 बैंकों को सूचित किया गया कि वे सभी वर्तमान खातों के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि चरणबद्ध रूप से दिसंबर 2004 तक पूरी करें। प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की दृष्टि से जून 2004 में यह निर्णय लिया गया कि बैंक 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि उन वर्तमान खातों तक सीमित करें जहां 31 मार्च 2003 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऋण लेने या देने संबंधी हिसाब 10 लाख रुपये है या जहां असाधारण लेनदेनों का संदेह हो। तथापि, वे सुनिश्चित करें कि 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि न्यासों, कंपनियों/फर्मों, धार्मिक/ धर्माथ संगठनों और अन्य संस्थाओं पर या ऐसे मामलों में लागू की जाती है, जहां खाते किसी अधिदेश या मुख्तारनामे के जरिए खोला जाता है।